खण्ड-369, अंक-2
शनिवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1906
(16 मार्च, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 369 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	1
श्री राज्यपाल द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़े जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	..		3–11
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आशिक पाठ	..			11–12
भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के निधन पर शोकोद्गार	..	..	..	12–16
सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री कास्तेंतिन उस्तिनोविच चेरनेन्को के निधन पर शोकोद्गार	..	..	..	16–19
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री धर्मवीर, शारदा भक्त सिंह, शिवदान सिंह, बादशाह गुप्त, शिव स्वरूप सिंह, कोतवाल सिंह भदौरिया, उपेन्द्र बहादुर सिंह, रूल्हा सिंह, तपेश्वर, राम प्रसाद, भगवती दीन तिवारी, काशीनाथ मेहरोत्रा तथा रामदास आर्य के निधन पर शोकोद्गार	..		.	19–28
भारत के भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री श्री यशवन्त राव बलवन्त राव चव्हाण, लोक सभा के भूतपूर्व सचिव एवं राज्य सभा के भतपूर्व सदस्य श्री महेश्वर नाथ कौल तथा उर्दू के शायर श्री फैज अहमद 'फैज' के निधन पर शोकोद्गार	..		..	28–32
नत्थी	..	..	..	33–41

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
कल्यान सिंह, श्री (अलीगढ़)
चमन लाल चमन, श्री (सहारनपुर)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राज बहादुर, श्री (जौनपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सेन, श्री (आगरा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शेर बहादुर सिंह, श्री (फैजाबाद)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़े जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न दिया है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री राम शरन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं सब को सुनूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, नियम 110 उप नियम 6 के अन्तर्गत मेरा एक प्रस्ताव है आप माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को यहां पर पढ़ेंगे । इस पर मेरी एक संवैधानिक आपत्ति है उस पर मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हुआ हूं इसलिए कृपा करके आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाना है तो आप सोमवार को उठायें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने आपके कक्ष में लिख कर दिया है । जिस काम के लिए आप खड़े हुए हैं उसी पर हमारी वैधानिक आपत्ति है । आप नियम 19 (2) देखने की कृपा करें । आप जिस कार्य के लिए खड़े हैं उस पर आपका संरक्षण नहीं होगा तो हमारा काम कैसे होगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप पुराने तजुर्बेकार सदस्य हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं इसी लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात को सुनूंगा । माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों सम्पन्न हुए सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस अधिवेशन....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, नियम 19 (2) को देखने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

नियम 19 (2) देखने की कृपा करें उसमें दिया हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़ कर सुना सकेंगे । मैं समझता हूं कि इस नियम 19 (2) के तहत आप कृपा पूर्वक खड़े होकर राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ कर सुनाने जा रहे हैं जिससे वह इस आदरणीय सदन की सम्पत्ति बन जाय और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा हमारी तरफ से संशोधन प्रस्ताव आ सके । मेरी वैधानिक आपत्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ ही नहीं तो उसे यहां पढ़ कर सुनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । आप कृपा कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 को देखने की कृपा करें जिसमें राज्यपाल महोदय के लिए यह मैंडेटरी प्राविधान है कि राज्यपाल प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् आरम्भ होने वाले सत्र को या प्रत्येक वर्ष प्रारम्भ होने वाले सत्र को माननीय राज्यपाल संबोधित करेंगे । इस अनुच्छेद 176 में दिया हुआ है कि प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करेगा तथा आह्वान का कारण विधान मंडल को बतायेगा। यह संविधान में तथा हमारी नियमावली में नियम 19 में दिया हुआ है । आज साधारण निर्वाचन के पश्चात् महामहिम राज्यपाल को हमें संबोधन करना चाहिये था और विधान मंडल को आहूत करने का कारण बताना चाहिये था, जिसके लिए 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था । दोनों सदनों के माननीय सदस्य एक साथ समवेत हुए हमने उनकी प्रतीक्षा की । नियमानुसार मार्शल ने सूचना दी और वे आदरणीय सदन में पधारे और आसन स्थान ग्रहण किया । उसके बाद उनको खड़े होकर अभिभाषण प्रारम्भ करना चाहिये था यह हम अपेक्षा कर रहे थे । उनको अपना अभिभाषण पढ़ने में कम से कम 5, 7 मिनट लगना चाहिये। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है जिसमें शुक्ला की कमेन्ट्री है उसके पृष्ठ 165 में दिया है कि "स्पीच इज टु बी रेड" यानी भाषण पढ़ा जायेगा जिसको वह खड़े होकर पढ़ेंगे । माननीय राज्यपाल खड़े नहीं हुए । मैंने देखा कुछ कागज उनके हाथ में है । हमको जानकारी नहीं कि वह क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़ें । बाद में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति हमें मिली है । उसको देखकर हम समझते हैं कि उसे उनको पढ़ना चाहिये, जिसमें कम से कम 5, 7 मिनट का समय जरूर लगेगा लेकिन वह एक मिनट से कम यहां पर रहे, इसलिए उन्होंने अभिभाषण नहीं पढ़ा। उनको पूरा अभिभाषण पढ़ना चाहिए था । केवल मूकवाचन का सवाल नहीं है । उसके लिए सदन की अनुमति लेने की जरूरत थी । हमारे यहां व्यवस्था है कि यदि कोई परिस्थिति पैदा हो जाये जैसे बीमारी, वृद्धावस्था के कारण या अन्य अपरिहार्य किसी कारण से राज्यपाल महोदय अभिभाषण नहीं पढ़ सकते थे तो आप या विधान परिषद् के चेयरमैन उनके प्रतिनिधि के रूप में वह पढ़ सकते थे, वह भी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी ।

वेस्ट बंगाल की एक नजीर है, उसका भी पालन नहीं किया गया । वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसमें मान लिया गया कि उन्होंने भाषण को सदन के पटल पर रखा हुआ मान लिया गया । प्रोसीडिंग में आप देखें कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं पढ़ने में असमर्थ हूं, इसलिए सदन की मर्यादा को देखते हुए उन्होंने अभिभाषण को सदन के पटल पर रखा । जहां तक मुझे जानकारी है, मैं तो दूर था, लेकिन जो लोग उनके पास खड़े थे उनके द्वारा जानकारी मिली है कि राज्यपाल महोदय ने ऐसा कोई वाक्य उच्चारित नहीं किया कि हम इस अभिभाषण को सदन के पटल पर रखते हैं । इसलिए इन तीन कारणों से मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हुआ । तो जब अभिभाषण नहीं हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 का अनुपालन नहीं हुआ तो इस समय विधान सभा का सत्र कैसे प्रारम्भ हो रहा है । आप उनके अभिभाषण को कैसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि उनका अभिभाषण नहीं हुआ, तो सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी । इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस सदन को स्थगित कर दें और राज्यपाल महोदय से कहें कि आपका अभिभाषण नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में विधि

विशेषज्ञों की राय ली जाय और महाधिवक्ता की राय लेकर दुबारा सदन को आहूत किया जाये और उस समय जो उनका संबोधन होता है, उसमें सदन के आहूत करने के कारण सदन को अवगत करायेंगे क्योंकि जब हमको जानकारी नहीं है कि हमको क्यों बुलाया गया है, हमारे सामने क्या उद्देश्य हैं, तो हमारे कार्य क्या होंगे, इसलिए कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इस विधान मंडल में एक संवैधानिक संकट "कांस्टीट्यूशनल क्राइसेस" उत्पन्न हो गयी है जिससे समाधान के लिए मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

श्री यदुनाथ सिंह के बाद श्री राम शरण जी बोलेंगे लेकिन आप लोग विषय को दोहरायें नहीं । संक्षेप में दो-दो मिनट, में सभी को, जो व्यवस्था के सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं देना चाहता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं । वह मुस्कराते रहे और खड़े नहीं हुए । तो विधान सभा की जो नियमावली बनी है उसके नियम 19 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार उनको खड़े होकर कम से कम कुछ कहना चाहिए था कि हम इस स्थिति में हैं या वृद्धावस्था में हैं या बीमार हैं या अलविदा की स्थिति में हैं और विदा होना चाहते हैं, इसलिए आप इसमें कोई व्यवस्था दें ।

श्री राम शरण—

माननीय, मैं भी जो श्री गुप्त जी ने कहा है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । यहां मैं अपर हाउस से आया हूं । मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण यहां सुने हैं, लेकिन आज आपकी तरफ से जो यहां मुझे देखने को मिला है कि यह काम मार्शल का था, जो आप कर रहे थे, यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं था । इससे सदन की गरिमा गिरी है । आप अध्यक्ष हैं, इसलिए यह काम आपका नहीं था । राज्यपाल महोदय आये, हम लोग खड़े हो गये, हमें पता नहीं कब वह बैठे, कब अभिभाषण को पढ़ा, हमारे कान में उनकी कोई बात नहीं पड़ी । मैं तो गुप्ता जी ने जो कहा है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं । इसलिए आप इस सदन को दुबारा बुलाने का कष्ट करें और लिखकर भेज दें कि ऐसी क्राइसेस आ गयी है । इसमें कोई वैसी बात तो नहीं है, इससे सरकार पर आफत तो आने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार तो फिर भी चलती रहेगी, अतः मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप नियमों के तहत ही कार्यवाही कीजिए । जैसा मैंने अभी कहा है और गुप्ता जी ने कहा है वैसे ही यहां आपको करना चाहिए नहीं तो अल्लाह-अल्लाह बिस्मिल्ला हो जायेगा । आखिर में मैं गुप्त जी का ताईद करते हुए आपसे पुनः कहूंगा कि सदन को दुबारा बुलाया जाए और इस समय सदन को एडजर्न किया जाए ।

श्री सरदार सिंह—

अध्यक्ष महोदय, हमने कल ही संविधान की शपथ ग्रहण की है और आज ही यहां पर आपके सामने संविधान के कुछ अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ा दी गयी हैं । यदि आप नियमावली के नियम 19 को देखें, उसमें स्पष्ट लिखा है—"विधान मंडल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा—(1) सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रति वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे ।" यह इसमें साफ लिखा है किन्तु आज उसकी पूरी तरह अवहेलना हुई है । महामहिम आए, बैठे और हम लो

खड़े हो गये । हम समझते थे कि पहले वह हमसे यह कहेंगे कि आप लोग बैठ जाये, लेकिन उन्होंने यह तक नहीं कहा। हमने बड़ी सावधानी से कान लगाकर ध्यान से सुनने और देखने का प्रयास किया वह आ ये और चले गये । लेकिन कुछ नहीं कहा। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 का उल्लंघन हुआ है । यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जैसा कि इससे विदित है कि उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को एक साथ शपथ दिला दी थी, यदि वह 85 वर्ष के वृद्ध हो गये हैं, बोलने से असमर्थ हैं, तो इसके लिए भी संविधान के अनुच्छेद 160 में वैकल्पिक व्यवस्था है कि जब इस तरह की अपरिहार्य स्थिति पैदा हो जाए कि महामहिम अपना भाषण न कर सकें तो वह भारत सरकार और राष्ट्रपति को सूचना देंगे और भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें । यहां ऐसा भी नहीं किया गया है । यहां भी राज्यपाल ने अपने अधिकारों का, विधान सभा की नियमावली का और संविधान का अतिक्रमण किया है । जब अभिभाषण-भाषण हो नहीं हुआ है तो चर्चा किस पर होगी । इसलिए आप सदन को स्थगित कीजिए और उनको पुनः बुलवाकर भाषण करवा कर सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से शुरू करें ताकि संविधान और नियमावली का पालन हो सके । आप हमारे संरक्षक हैं । और इसी तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा और संविधान की रक्षा कर सकेंगे ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, जिन लोगों ने मेरे पास पहले से लिखित नहीं भेजा है, वह बैठ जाएं । जिन्होंने लिखित दिया है वही इस पर बोलेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव नियम 110, उपनियम (6) के अन्तर्गत है, जिसमें पहले से सूचना की आवश्यकता नहीं है । मेरी संवैधानिक आपत्ति इस अभिभाषण के सम्बन्ध में है और वह यह है कि मैंने प्रस्ताव किया है...

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है, आपने औरों की सुना है..

श्री अध्यक्ष--

आप सदन को चलाने में हमें मदद दें, कृपया एक-एक कर खड़े हों ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आप मुझे भी सुन लीजिए...

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको भी सुनूंगा, आप बैठ जाएं, मेहरबानी करके बैठ जाएं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां के कुछ बोलते रहने पर)

आप बैठ जाएं, आप कृपा करके बैठ जाएं, तभी सुनूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं नया सदस्य हूं, मुझे भी आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके बैठ जाएं, क्या मैं सबको एक साथ सुन लूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैंने आपसे निवेदन किया है, मैंने नियम 110 के उप नियम (6) के अन्तर्गत प्रस्ताव किया है । आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पढ़ने का कार्यक्रम स्थगित रखें क्योंकि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह अभिभाषण एक असंवैधानिक तरीके से गठित मंत्रि परिषद् द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण है इसलिए इसे नहीं पढ़ा जा सकता है । मैं अपने कथन के समर्थन में, आपकी अनुमति से

संविधान के अनुच्छेद 163 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 163 के पैरा (1) में कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करें उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मन्त्री होगी । मैं इसके अंतिम अंश पर जोर देना चाहूंगा । राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मन्त्री होगा । मान्यवर, इसका मतलब यह हुआ कि पहले एक मंत्रि परिषद् होगी और उसके मुखिया के रूप में माननीय नेता सदन मुख्य मन्त्री की शपथ लेंगे ।

इस प्रदेश में यह हुआ है कि मुख्य मन्त्री ने संविधान के अनुच्छेद 163 का स्पष्ट उल्लंघन करके अकेले मुखिया के रूप में मुख्य मन्त्री की शपथ ली जो संविधान की भावना के बिल्कुल विपरीत है । जिस प्रकार से मीटिंग या कोई बैठक होने के लिये एक से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसी तरह से मंत्रि-परिषद् का मुखिया मुख्य मन्त्री होता है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि एक से अधिक व्यक्ति उस मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे और मुखिया के रूप में माननीय नेता सदन शपथ ग्रहण करेंगे । मैंने लाइब्रेरी में देखने की कोशिश की । जब से यह हमारी असेंबली बनी है, आज तक के इतिहास में मान्यवर, यह घटना नहीं हुई है कि अकेले मुख्य मन्त्री ने मुखिया के रूप में शपथ ली हो । इसके पहले जितने भी मुख्य मन्त्रियों ने शपथ ली हैं उनके साथ एक या दो मन्त्रि-परिषद के सदस्यों ने भी शपथ लिया है । तो मेरा निवेदन यह है कि संविधान के अनुच्छेद 163 का खुला उल्लंघन हुआ है । यह मंत्रि-परिषद् जो गठित हुई है वह संविधान के अनुच्छेद 163 का खुला उल्लंघन करके गठित की गयी है । इसलिये ऐसा मन्त्रि-परिषद् द्वारा तैयार किये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को, जो असंवैधानिक है, अगर आप यह मान लें जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, सीतापुर ने तर्क दिया, नियम 19 के तहत उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बहस को आगे बढ़ाता हूं कि अगर मान लिया जाय कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा भी, लेकिन चूंकि वह असंवैधानिक मंत्रि-परिषद् द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण था इसलिये यह संविधान के प्रतिकूल है । इसको निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ लेने के बाद आप इसको पढ़कर संविधान की हत्या न करेंगे ।

मेरा निवेदन है कि इसका एक निराकरण हो सकता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जो त्याग-पत्र देकर फिर से मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के साथ शपथ लिये होते । लेकिन जब उन्होंने यह नहीं किया तो अनुच्छेद 191 के तहत एक असंवैधानिक रूप से गठित मंत्रि परिषद् के सदस्य के रूप में मन्त्री को सुविधाओं का उपभोग उन्होंने किया है, इसलिये अनुच्छेद 191 के तहत वह अनर्ह हो गये हैं इस सदन को सदस्यता के लिये, जितने दिन वह विधान सभा में बैठे हैं नियमावली के नियम 7 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 193 के तहत वह 500 रुपये प्रति दिन अर्थ दंड के भागी हैं । संविधान के इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । ऐसी नजीर कभी सामने नहीं आयी इसलिये एडवोकेट जनरल को यहां तलब करके उनकी राय लेने के बाद आप अभिभाषण पढ़ने का काम करें । तब तक के लिये इसको स्थगित करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हर माननीय सदस्य की जिम्मेदारी है कि अगर यहां पर कोई गैर-कानूनी काम होता है तो आवाज से नहीं बल्कि ताकत से उसे रोकें । आपको याद होगा, डेढ़ साल पहले एक गैर-कानूनी काम यहां पर हुआ था । मैं उसको रोकने के लिये गया था तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण मुझे दे दिया था जिसको मैंने फाड़कर फेंक दिया था । आज उस वक्त मुझे देर हो गयी तो महामहिम राज्यपाल महोदय मेरे इंतजार में थे और मेरी गैर मौजूदगी में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण पढ़ा ही नहीं । लिहाजा इसे सही मान लिया जाये कि मेरी गैर-मौजूदगी में अभिभाषण न पढ़ा गया और न फाड़ा गया और जब फाड़ा नहीं गया तो पढ़ा हुआ माना जाये यही मेरा निवेदन है ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, सर्वप्रथम तो मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को हार्दिक शुभ कामनाएं और बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं और उन वरिष्ठ सदस्यों को भी बधाई देता हूं कि जो दुबारा जनता का विश्वास प्राप्त करके यहां पर आये हैं । उनके अनुभव से, उनकी संसदीय कार्य-पटुता से इस सदन की शोभा बढ़ेगी । श्रीमन् मैं अपने दो-तीन साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो नियमों का अध्ययन करते हैं । वह उसका छिद्रान्वेषण करें, भले ही वह छिद्रान्वेषण छिद्र दूसरे हो गये हों । श्रीमन् मैं अपने उन माननीय सदस्यों को बधाई कैसे दूं, जिन्होंने सीट पर खड़े होकर कैसे काले झंडे दिखाये जाते हैं, यह दिखाया, क्योंकि यह अपेक्षा विधायकों से नहीं होती है ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

कश्मीर में क्या किया आपने, माननीय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके आप लोग बैठें ।

श्री नारायन दत्त--

मैं स्वयं नेता विरोधी दल का आदर करता हूं । पहले मुझ अकिंचन को भी इस गौरव मंडित पद पर शौभाग्य प्राप्त हुआ है । मैं श्रीमन् अपने मित्र से कहूंगा कि जब कभी उस पद से कोई भी बात कही जाती है, पहले भी श्रीमन् जब कभी नेता विरोधी दल ने कोई बात कहनी चाही है, राज्यपालों ने उसे सुनी है, जो मेमोरेंडम देना चाहते थे, उसे उन्होंने लिया । लेकिन नेता विरोधी दल की बात सुनने के लिए हम लोग तैयार न हों, राज्यपाल की बात तो बाद में होगी मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह जो कुछ पढ़ना चाहते थे, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भेजवा दें, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया । ये प्रश्न जो हैं, ये पहले भी आये हैं, इस सदन में भी आये हैं और इस सदन में जो इसके बारे में चर्चा हुई है और दूसरे सदन में भी इस प्रकार की चर्चा हुई है । श्रीमन्, हमारे पास तीन उद्धरण इस प्रकार के विद्यमान हैं । जब वेस्ट-बंगाल की गवर्नर मिसेज पद्मजा नायडू थीं, तो वह भी अपना अभिभाषण नहीं पढ़ सकीं । यह मामला हाई कोर्ट में भी गया । मैं समझता हूं कि यहां पर ऐसी स्थिति नहीं आयेगी । कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग दिया कि एपार्ट आफ दि स्पीच मीन्ट ए फुल स्पीच पहला और आखिरी पैरा पढ़ना यह पहले से भी चला आ रहा है ।

इसी प्रकार जब डा० सम्पूर्णानन्द जी राजस्थान के गवर्नर थे तो तत्कालीन विरोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पक्ष ने व्यवधान उत्पन्न किया और वह अपनी स्पीच नहीं पढ़ सके।

"हा सिम्पली रेड दि लास्ट पैरा-ग्राफ आफ हिज ऐड्रेस ऐण्ड इट वाज कन्सीडर्ड ऐज हैविंग बीन रेड"

इसी प्रकार धर्मवीर जी अपना भाषण पूरा नहीं कर सके। लेकिन उसको गवर्नर अभिभाषण माना गया उसकी कुछ पंक्ति में पढ़ रहा हूं।

"ही कुड नाट कम्पलीट हिज ऐड्रेस ड्यू टू टरम्वायल इन दि हाउज बट इट वाज टेकेन ऐज रेड"

श्री अध्यक्ष---

इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री नारायण दत्त---

इस प्रकार की असंतुलित परि-स्थिति....

(व्यवधान)

श्री शतरु प्रकाश---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि नियमावली में लिखा है कि सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। मुख्य मंत्री जो हिन्दी में बोलें, अंग्रेजी में बोलें मुझे कोई एतराज नहीं है। जब सदन की भाषा हिन्दी है जो यह बोलें है कार्यवाही में लिखा जायेगा या नहीं? जो बात हिन्दी में कही जाती है वही कार्यवाही में लिखी जाती है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा है वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। जो अंग्रेजी में पढ़ा गया है वह सदन की कार्यवाही हुई ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---

आपने पूरी बात नहीं सुनी। वह अनुवाद करने जा रहे थे। आप खड़े हो गये।

श्री शतरुद प्रकाश---

अनुवाद नहीं कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष---

करने जा रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री इसका हिन्दी में तर्जुमा कर दें।

श्री नारायण दत्त---

मैं हिन्दी में तर्जुमा कर दे रहा हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य वाराणसी हिन्दी में तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं। केवल औपचारिकता के लिए वह अनुवाद कराना चाहते हैं। माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि जब जजमेंट अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में पढ़ना आवश्यक है। हिन्दी में नहीं है तो कैसे पढ़ा जाय।

श्री शतरुद प्रकाश---

अनुवाद कर दें।

श्री नारायन दत्त---

अगर मैं अक्षरशः अनुवाद करूंगा तो कुछ माननीय सदस्य बुरा मान जायेंगे। इसमें कहा गया कि मानवीय कारणों से अगर गवर्नर अपना सारा एड्रेस शुरू न कर सकें या अन्त न करें, या पढ़ न सकें तो भी पढ़ा हुआ माना जायेगा और अगर कोई ऐसा विरोधी दल, जो बहुत हल्ला-गुल्ला करने वाला विरोधी-दल हो, वह राज्यपाल को, संविधान की धारा 176 के द्वारा, भाषण पढ़ना असंभव कर दें, ऐसा व्यवधान हो। आगे और कहने के पक्ष में मैं नहीं हूं, तो यह हाईकोर्ट के जजमेन्ट का उद्धरण है। मैं निवेदन करूंगा माननीय नेता विरोधी दल से, कि पहले भी ऐसे प्रकरण आए हैं और उसको माना गया है, इसको आप स्वीकार करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने अपने भाषण के दरम्यान कहा था, आपने माननीय न्यायधीश का जजमेन्ट पढ़ा, तो जो माननीय राज्यपाल को कार्यवाही थी उसमें उन्होंने कहा, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि वातावरण असन्तुलित हो गया है, इसलिए मैं अभिभाषण को सदन की मेज पर रखता हूं। तो अभिभाषण की दूसरी विधि अपनायी गयी और माननीय न्यायाधीश ने उसको मान लिया, मान्यवर, यहां पर वह प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। अतः यह निर्णय, जो माननीय न्यायधीश का है, यहां लागू नहीं होता है। यह निर्णय वेस्ट-बंगाल का है इसको यहां नहीं माना जायेगा। श्रीमन्, मैंने अभी जो चार तर्क प्रस्तुत किए थे, उस पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनना चाहूंगा। मान्यवर, आपका निर्णय सर-माथे पर होगा यह संवैधानिक संकट है। हमारी संसदीय परम्पराओं की छवि धूमिल होती चली जायेगी, आप संसदीय नियमों को धूमिल होने से रोकें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जो ने कहा महामहिम राज्यपाल हल्ला-गुल्ला होने से नहीं पढ़ पाये [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह शब्द सदन की कार्यवाही में नहीं आयेंगे। कृपा करके माननीय सदस्य अपनी जगह बैठें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन के शब्दों के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सदन में कोई व्यवधान था तो माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण को नहीं पढ़ा, केवल पहला और अन्तिम वाक्य पढ़ा, तो माननीय नेता सदन से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो सदन यहां हुआ ही नहीं, दोनों सदनों के समवेत सदनों को उन्हें संबोधित करना था। दूसरी बात यह कि व्यवधान था तो क्या महामहिम ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि व्यवधान हो रहा है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। संभवतः इन वाक्यों को महामहिम ने नहीं कहा, तो जब महामहिम स्वयं नहीं मान रहे हैं फिर यह तर्क देकर किस सदन में व्यवधान था इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, यह मैं नहीं मानता हूं। महामहिम राज्यपाल का भाषण न तो यहां पढ़ा गया और न ही किसी ने सुना और न ही पढ़ा माना जायेगा। मेरा कहना है कि जो सदन की मर्यादापूर्ण व्यवस्था है वह होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब इस बहस को समाप्त करते हैं कृपा करके आप सब बैठें। मैं कह रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता सदन ने अपने तर्कों के समर्थन में एक उच्च न्यायालय कलकत्ता और एक पंजाब की रूलिंग का जिक्र किया है और मैं समझता हूं कि जो रूलिंग है यहां के तथ्य व यहां की परिस्थितियां इन रूलिंग से भिन्न हैं। यह जो पंजाब का उल्लेख और कलकत्ता का उल्लेख किया गया, उसमें राज्यपाल महोदय द्वारा उनका अभिभाषण लिखित रूप से सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका था। पटल की मान्यवर, परिभाषा दी है और पटल की परिभाषा के अनुसार पुस्तकालय व जो पिजन होल है उसमें भी अभिभाषण की कापियां नहीं पहुंची। इसके बाद भी माननीय सदस्य को यदि वह प्रतिलिपियां अभिभाषण के पहले से दी गई होती तो यह समझा जाता कि माननीय

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राज्यपाल का अभिभाषण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया और तब उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता लेकिन जैसा कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आये। उनके अभिभाषण की कोई प्रति किसी माननीय सदस्य को नहीं दी गई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

यदि मौखिक अभिभाषण है तो माननीय सदस्यों को सुनाई देना चाहिए। इसलिए माननीय नेता सदन का यह कथन कि किसी व्यवधान के कारण सुन नहीं सके थे सही नहीं है उन्होंने भाषण पढ़ा ही नहीं और लिखित रूप से माननीय सदस्य को दिया नहीं गया। इसलिए मेरा यह मत है कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ ही नहीं, नहीं हुआ तो सदन की कोई अग्रिम कार्यवाही अभिभाषण के बाद नहीं चल सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी और बड़े धैर्य के साथ सुनी। मुख्य रूप से जो तीन बातें उठायी गयी, उसमें से एक जिसे हमारे तिवारी जी ने, जनता सदस्य ने यह उठाया कि मुख्य मंत्री अकेले शपथ नहीं ले सकते। दूसरी यह कि राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण नहीं पढ़ा। तीसरा यह कि उनका जो अभिभाषण था, वह बांटा नहीं गया। पहला तो मैं तिवारी जी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने अगस्त, 1984 में शपथ लिया था वह अकेले लिया था। तामिलनाडु में श्री राचन्द्रन ने जो शपथ लिया था वह अकेले लिया। दूसरा जैसे ऐड्रेस की कापी बांटी गयी या नहीं अभिभाषण की प्रतियां राज्यपाल महोदय के जाने के बाद बांटी जाती हैं और जैसे ही वे गये कुछ लोगों को प्रतियां बंट सकी। तीसरा यह कि राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा या नहीं ? राज्यपाल महोदय आये और उन्होंने कहा कि आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। चूंकि हालात ऐसे थे कि आपको आवाज नहीं पहुंची उन्होंने कहा कि मैं बैठ कर पढ़ूं और ऐड्रेस का कुछ हिस्सा पहले का पढ़ा और कुछ बाद का पढ़ा और पढ़कर उठकर चले गये। ऐसी सूरत में जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हालात ऐसे पैदा हुए तो उन्होंने अपना ऐड्रेस संक्षेप में किया बल्कि कुछ सतर पढ़े और उसके बाद चले गये। तो ऐसी सूरत में उनका अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायगा।

(मेजों को थपथपाहट)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा अंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण का प्रथम एवं अन्तिम प्रस्तर पढ़ रहा हूं :—

"माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों सम्पन्न हुए सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस अधिवेशन के अवसर पर आप सबका स्वागत है...

...नयी मन्त्रि-परिषद् ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाला है। उसे विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में निःसन्देह कुछ समय लगेगा। इस कारण इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों के लिये

लेखानुदान तथा चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित हैं जिन्हे पारित करने को आपसे अपेक्षा की जायगी । विगत महीनों में कुछ अध्यादेश जारी किय गये हैं । इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले तथा कुछ अन्य विधेयकों को आपके विचारार्थ इस सत्र में रखना प्रस्तावित है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्मानित सदस्य राज्य के सर्वांगीण विकास और जनतन्त्र को सफल बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं । जय हिन्द ।"

(श्री राज्यपाल के अभिभाष के लिये देखिये नत्थी आगे पृष्ठ 33 पर ।

भारत की भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मैं सदन की ओर से एक ऐसे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, विषादपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये उठ खड़ा हुआ हूं, जिससे भावनाएं अभिभूत हो उठती हैं और कल्पना सिहर उठती है । 31 अक्टूबर, 1984 को प्रातः दो हत्यारों ने हमारी राष्ट्रनेत्री, ज्योतिपुंज व्यक्तित्व, हमारी प्रधानमंत्री इंदिराजी के पार्थिव शरीर को हमसे छीन लिया । यह दुर्घटना, यह जघन्य हत्या मानवता के लिये कलंक है और इस देश की स्थिरता, एकता और सार्वभौमता पर कुठाराघात है । इंदिराजी का महान् व्यक्तित्व एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व था जो कि हमारे देश की सीमाओं को लांघ कर सारे संसार को अपनी ज्योति से ज्योतित करता था । निर्गुट देशों की एकछत्र नेता के रूप में उनकी वाणी, उनके विचार, सारे संसार को आलोकित कर रहे थे । इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, वह इस राष्ट्र के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा । अकेले उनका एक ही कार्य, इस सदन के सम्मानित सदस्य वह दिन याद करें । बंगला देश की स्वतन्त्रता के युद्ध के वे दिन, किस प्रकार इंदिरा जी ने अदम्य साहस और नेतृत्व की सूझबूझ का प्रदर्शन कर बंगला देश की आजादी को सुनिश्चित करने में भारत की जनता का नेतृत्व किया और भारतीय सेना को एक नैतिक सम्बल दिया । जिससे कि भारतीय सेना वेग वाहिनी के साथ आगे आयी और चौदह दिन के अन्दर बंगलादेश एक आजाद देश हो सका । कितनी गाथायें, कितनी घटनायें, कितने ऐतिहासिक निर्णय इंदिरा जी के साथ जुड़े हुए हैं ।

सोवियत रूस के साथ भारत की संधि, जिसका कि अपना एक महत्व है स्थिरता और शांति के लिये विश्व में उनको और सोवियत नेताओं की पहल थी यह ऐतिहासिक संधि एक तरफ ऐसी संधि जो कि निर्गुट आंदोलन को सहायता भी करती थी, दूसरी तरफ भारत और रूस की मैत्री को विश्व संधि के एक प्रखर प्रहरी के रूप में, जो दोनों देशों की मैत्री सामने आयी, यह भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था । देश की स्थिरता के लिये, अखंडता के लिये, उन्होंने कठोर कदम उठाये । उनका एक ही स्वार्थ था और वह था कि भारत का हित सर्वोपरि है । यह उनकी नीति और उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य था ।

स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानी के रूप में 1942 में जब वह जेल गयीं, तो उसके पहले उन्होंने बानर सेना का निर्माण किया । नेहरू परिवार के एक सदस्य के रूप में जो स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनका योगदान रहा, वह भी स्मरणीय है । अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने संगठन को रूप दिया, संरक्षण दिया, उसका भी अपना एक इतिहास है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के आह्वान तक जो उन्होंने अनेकानेक देश की आर्थिक प्रगति के लिये कदम उठाये, उनका एक अपना विशेष स्थान है । भारत की चौथी योजना, पांचवी योजना और छठी योजना–इन तीनों योजनाओं को जो उन्होंने मूर्त रूप दिया और जिस प्रकार से उनका संचालन और कार्यान्वयन किया, उसका अपना विशेष महत्व है । भारत की अखंडता के लिये, भारत की एकता के लिये जो उन्होंने कदम उठाये और उसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने जीवन से खेलना पड़ा । अपना चरम बलिदान देना पड़ा । युगों-युगों तक, जब तक भारत रहेगा, भारत के नागरिक रहेंगे, नागरिकता रहेगी, उनका वह चरम बलिदान एक प्रेरणा की ज्योति के रूप में आलोकित करता रहेगा ।

एक महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में हो चुकी है । लेकिन, यह उनका अपना प्रदेश, यह उनकी अपनी जन्म-भूमि, यह उनकी कर्म-भूमि उत्तर प्रदेश और यहां के बारह करोड़ लोगों की प्रतीक यह सदन उनकी स्मृति में श्रद्धा के फूल अर्पित करे, यह अत्यन्त उचित है उनकी स्मृति को भविष्य में भी प्रेरणादायक स्मृति के रूप में याद करने वाला यह सदन और उनके प्रति यह श्रद्धांजलि के पुष्प–इनका अपना महत्व है । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के लिये इस गंगा–यमुना के प्रदेश के लिए, इस सरयू–गोमती के प्रदेश के लिये, राम, कृष्ण, नानक और कबीर के प्रदेश के लिये जो उनका प्रेम था, उससे आप और यह सदन भलीभांति भिज्ञ है । उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास करने का उनका ममत्व था । शारदा सहायक परियोजना, तरजू परियोजना, मथुरा रिफायनरी, नरोरा का विद्युत गृह और स्कूटर इंडिया लिमिटेड से लेकर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स तक, इण्डिया टेलीफोन इन्डस्ट्रीज से लेकर एच0 एम0 टी0 तक उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में आर्थिक प्रगति का जो दीप जला है यह इन्दिरा जी की सहायता, उनकी प्रेरणा उनका भरोसा और उनके सहारे आदि से ही हुआ है और यह प्रदेश विकास के मामले में अग्रणी रहा है । अपने जीवन के अन्तिम चरण में उत्तर प्रदेश को 4 बड़े खाद के कारखाने और अलीगढ़ के एरोमैटिक्स प्लान्ट्स को उत्तर प्रदेश को दे गयी । इस सदन में और इस आदरणीय सदन के सहयोग से हम उनकी कल्पनाओं को साकार करें ।

श्रीमन्, हमारे दल की ओर से अपने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक-संतप्त परिवार तक उनके एक मात्र पुत्र श्री राजीव जी तक व उनके शोक–संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश की श्रद्धांजलि का स्वर अन्य प्रदेशों के स्वरों के साथ एक ऐसी प्रेरणादायक सरगम के रूप में मुखरित हो, जिससे हमारी भविष्य की पीढ़ियां उन्हें याद कर सकें । महा-ज्योति तो बुझ गयी, लेकिन महाज्योति की लौ युगों-युगों तक मानवता को आलोकित करती रहेगी । उनका पार्थिव शरीर चला गया । नैनं छिन्दन्तिशस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः । देश की एकता, अखण्डता और राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए उनकी बातें हमें प्रेरणा देती रहेंगी ।

हम उत्तर प्रदेश में इस सम्मानित सदन में किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन देश की एकता, अखण्डता और सही राष्ट्रीयता के लिए और मानवता के लिए और इसे बनाये रखने के लिए हम एक रहेंगे । यही संकल्प हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी ।

इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस सदन की ओर से और कांग्रेस दल की ओर से इन

संवेदनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, आज में श्रीमती इन्दिरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जिस तरह से उनकी हत्या की गयी उससे सारा देश दुखी है । यह एक शर्म की बात है हमारे लिए और इस हत्या से हमारे देश का सिर झुका है दुनिया के सामने । जिस तरह से प्रधान मंत्री के घर में ही प्रधान मंत्री के जो सुरक्षा-गार्ड थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, वह एक महान नेता थीं । उन्होंने जिस तरह से महिला होते हुए एक अदम्य साहस का परिचय दिया उनके सामने एक से बढ़ कर एक कठिनाइयां आयीं, समस्यायें आयीं परन्तु वह कभी घबड़ायी नहीं । यह उनका एक विशेष गुण था ।

वह प्रधान मंत्री के पद पर लगातार रहते हुए निर्गुट सम्मेलन से अध्यक्ष के पद पर भी रहीं । इस तरह से हमारे देश के एक नेता के न रहने से आज हम सभी दुखी हैं । जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि उनका कर्मक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है, मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं । हम सभी लोग दुखी हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे दल की तरफ से उनके परिवार तक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें । उनके जो मित्र हैं, शुभचिन्तक हैं, उन तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हम श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, भारत सरकार को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं । हमें दुख है कि जिस प्रकार से उनकी जघन्य हत्या की गयी और वह भी उनके घर में उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा । उस हत्या से पूरा देश स्तम्भित था जो घर में सुरक्षा गार्डों के द्वारा कर दी गयी । श्रीमती गांधी अदम्य साहस और विश्वास की मूर्ति थीं । उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी सेवा की वह सबके सामने है और उससे सब परिचित हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि उनकी हत्या के बाद पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना हिंसा का, जिससे पूरा देश ग्रसित हुआ । हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों के मानने वाले लोग, हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि कहीं भी वातावरण गरम हो, तो शान्तिपूर्ण तरीके से उन्हीं मार्गों पर चलेंगे, जिन रास्तों को बापू ने बताया है और उससे विलग होकर हिंसा के मार्ग को नहीं अपनायेंगे ।

श्रीमती गांधी इलाहाबाद की रहने वाली थीं । वहीं उनका जन्म हुआ था। उनके बनाने में पंडित जवाहर लाल नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था । वे उनके पिता भी थे और गुरू भी थे। उन्होंने ही जेल से पत्र लिखे ("ए बन्च आफ लैटर्स टु दि डाटर" शीर्षक से बाद में प्रकाशित) उनके आधार पर ही उनके जीवन का निर्माण हुआ था । मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके शोक-सन्तप्त परिवार को, देश से जो श्रद्धांजलियां अर्पित हुई हैं, उनसे उनका दुख कुछ कम होगा । मैं और जनता पार्टी के लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि उनके शोक-सन्तप्त परिवार को हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, देश की अग्रिम पंक्ति के महान नेताओं में से श्रीमती इन्दिरा गांधी को काल के क्रूर हाथों ने हमेशा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए छीन लिया । देश में शोक का वातावरण फैला । मैं भी अपने को और अपने दल को इससे सम्बद्ध करता हूं । वैचारिक मतभेद अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें दो मत नहीं हैं कि उनमें अनेक गुण थे, जिनके कारण वे देश के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंची । मुझे वह दिन भी याद है जिस समय राजनीतिक दृष्टि से उनके दल को पराजय का सामना करना पड़ा । उस समय उनके साहस और उत्साह ने उनकी पार्टी को बल दिया । इसके साथ ही, अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे आग्रह है कि उनके दुखी परिवार तक यह भावनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी को मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि अद्भुत शक्ति और अपार साहस के साथ कोई महिला, इस प्रकार से शासन को चलाये तथा देश को चलाये जैसा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चलाया । इसमें सन्देह नहीं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम देश के इतिहास में बराबर बना रहेगा । मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही आपसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों की संवेदनाएं आप उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, स्वर्गीया प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को खोकर हमारे देश ने एक देश भक्त व विश्व शान्ति के नेता को खो दिया है । श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय आजादी के लिए संघर्षरत रहीं तथा विश्वशान्ति की प्रबल समर्थक थीं । गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने नये आयाम प्रदान किये और भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाये । हमारे दल के नेता महसूस करते हैं कि माननीया स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की जो जघन्य हत्या की गयी है, यह एक साजिश की तहत की गयी है । इससे हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं । स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की अखण्डता बनाये रखने के लिए अथक प्रयास किया । मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

[समय 1 बजकर 32 मिनट]

श्री राज किशोर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यगण, स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के निधन पर जो कंडोलेन्स का प्रस्ताव आया है, इसके सन्दर्भ में मैं चन्द बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या जिन हालातों में हमारे मुल्क में हुई, हम आपको उन घटनाओं की ओर ले जाना चाहते हैं । जब देश में और देश के बाहर दुनिया के हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश में मुजीबुर्रहमान की हत्या हुई, सोलमन भण्डार नायके की लंका में हत्या हुई तो इससे पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे साम्राज्यवादी ताकतों का हाथ था । इसी प्रकार से श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पीछे भी साम्राज्यवाद शक्ति का हाथ मालूम होता है कि उन्हीं के घर में उन्हीं के सुरक्षा गार्डों द्वारा उनकी हत्या की गयी तो इससे स्पष्ट है कि हमारे मुल्क की जो उग्रवादी और पृथकतावादी, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इसमें उन्हीं का हाथ है, इससे हम सभी लोगों को देखना है । सभी लोग चाहे वे जिस दल के भी हों और चाहे जिस विचारधारा के हों, उनकी हत्या से मर्माहित हैं ।

मैं ज्यादा न कह कर, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के

निधन पर अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री देवकुमार यादव--

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में चन्द क्षणों में कुछ नहीं कहा जा सकता है । लेकिन जिन परिस्थितियों में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई वह हमारे देश का बहुत बड़ा नाजुक दौर था । उनकी हत्या के पश्चात जो रोष सारे देश में फैला, उन परिस्थितियों को बहुत ही गम्भीर कहा जा सकता है ।

मान्यवर, इन्दिरा गांधी जी के सम्बन्ध में अभी जो नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके प्रति सद्भाव व्यक्त करता हूं ।

*श्री हुक्म नारायण दीक्षित--

मान्यवर, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में जो श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गयी है, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही, इस हत्या के बाद देश में जो हत्यायें हुई हैं, प्रतिक्रिया में जो हत्यायें हुई हैं उनके लिये भी दुख व्यक्त किया जाना चाहिए था । मैं चाहता हूं कि इस बात को भी उसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

इन्दिरा जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने इस सदन में व्यक्त किये हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । इन्दिरा जी की छाप हिन्दुस्तान के हर रेजे-रेजे पर है । अगर यह कहा जाय कि जान आफ आर्क में, इतिहास में, महिलाओं में उनका नम्बर था, तो मुनासिब होगा ।। जिन हालात में उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उसकी कोई मिसाल नहीं है । हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी । मैं इन शब्दों के साथ अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी संवेदनायें और श्रद्धांजलियां उनके एक मात्र पुत्र तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा । अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिये दो मिनट खड़े हो कर मौन धारण करें ।

(सभी सदस्य अपने.अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री कांस्तेतिन उस्तिनेविच चेरनेन्को के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, स्वयं आप और सम्मानित सदन अवगत हैं कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति कांस्तेतिन उस्तिनेविच चेरनेन्को का विगत 10 मार्च, 1985 को निधन हो गया । श्रीमन्, सोवियत संघ से हमारी ऐतिहासिक मित्रता को देखते हुये वहां के राष्ट्रपति का निधन हम सब के लिए एक शोकाकुल घटना है । श्रीमन्, चेरनेन्को एक बहुत निर्धन परिवार में जन्में । बाल साम्यवादी दल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का सदस्य होने के साथ-साथ धीरे-धीरे राष्ट्र पटल पर जिस प्रकार उनका अविर्भाव हुआ वह स्वयं में उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता और उनकी संगठनशीलता का परिचायक है। वे एक लाल सेना के समर्थ सिपाही भी रहे और स्टालिन, खुश्चेव के शासनकाल में सोवियत संघ की सेवा में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया। स्वर्गीय श्री ब्रेझनेव के शासन काल में उनकी प्रगति और भी तेजी से हुई और उन्हें ऐसा उत्तरदायित्व पूर्ण पद दिया गया, जिससे उन्होंने न केवल सोवियत रूस की नीतियों को बनाने में वरन् अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत रूस की ओर से भाग लेकर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय शांति और अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री भाव की भावना को निरूपित करने में पूरा योगदान दिया। श्रीमन्, यह दुर्भाग्य ही रहा कि उनका नेतृत्व राष्ट्रपति के रूप में अधिक समय तक प्राप्त नहीं हो सका और जो अपेक्षायें एक विचारक के रूप में उनसे उनके राष्ट्र को राष्ट्रपति के रूप में थी वह उनका प्रस्फुटन नहीं देख सके। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों के रहते हुये निशास्त्रीकरण की वार्ता को आगे बढ़ाया उससे हमें आशा थी कि अगर वह और जीवित रहते तो विश्व शान्ति के कदम और आगे बढ़ते। उन्होंने भारत-रूस की मैत्री को भी पुष्ट करने में बड़ा योगदान दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण नेता के निधन पर हमारा शोकाकुल होना स्वभाविक है। श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उचित प्रणाली के माध्यम से उनके शोक संतृप्त परिवार, सोवियत रूस की सरकार और उनकी पार्टी को हमारे इस आदरणीय सदन की हार्दिकतम श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें और जो हमारी सम्मवेदना की भावभीनी भावनायें हैं उनको पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो संवेदना के विचार यहां पर सोवियत राष्ट्रपति के निधन पर व्यक्त किये उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। सोवियत राष्ट्रपति चेरनेंको हमारे देश के मित्र थे और उनका विश्व शान्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सब को उनके निधन से दुख है और उससे हमारा देश दुखी है और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी और मेरे दल की ओर से उनके परिवार और उनके देश को हमारी संवेदना भेजने का कष्ट करेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सोवियत संघ से राष्ट्रपति कास्तेतिन उस्तिनेविच चेरनेन्को अभी एक साल पूर्व ही अपने देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उसके थोड़े महीने पहले वे महासचिव बने थे। श्री चेरनेन्को का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और वहां कुलकों के यहां खेतों पर काम करते-करते धीरे-धीरे सोवियत संघ की लाल सेना में आये। इस प्रकार अनेक पदों को संभालते हुये 1978 में वहां के पोलित ब्यूरे के सदस्य बने और आज जब वह वहां के राष्ट्रपति बने थे तो ब्रेझनेव तथा आंद्रोपोव के जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने तथा जनेवा में जो शास्त्रों के निशास्त्रीकरण की वार्ता भंग हुई थी उसको उन्होंने फिर से प्रारम्भ किया यह उनकी बड़ी भारी उपलब्धि थी। थोड़े ही समय में भारत सोवियत मैत्री जो बहुत पुरानी है उसको उन्होंने और प्रगढ़ किया। उनके निधन से हम सब लोग दुखी हैं। हमारी पार्टी और हमारे तरफ से समवेदना संदेश सोवियत रूस को भेजने की कृपा करेंगे।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, सोवियत राष्ट्रपति चेरनेन्को के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री चेरनेंन्को का भारत से विशेष रूप से लगाव था। मुझे स्मरण है कि 1961 में जब ब्रेझनेव भारत आये थे तो वह भी उनके साथ आये थे और तभी से उनकी यहां के कार्यों में दिलचस्पी थी।

उनका कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा लेकिन इस कार्यकाल में जो बड़े गुट हैं उनके टकराव को टालने का उन्होंने प्रयास किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद नवम्बर में रूस ने प्रस्ताव किया और इस बात का निश्चय दोहराया कि भारत और रूस के जो मंत्री सम्बन्ध हैं वह निश्चित रूप से प्रगाढ़ हैं और रहेंगे। इस तरह भारत और रूस की मंत्री को बराबर बढ़ाने के वह प्रयत्नशील थे। श्री ब्रेझनेव और श्री आन्द्रेपोव की नीतियों को आगे बढ़ाकर वह युद्ध टालने के लिए प्रयत्नशील रहे थे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी इन भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमाशंकर--

अध्यक्ष महोदय, रूस के श्री चेरनेन्को के निधन के सम्बन्ध में जो भावनायें नेता सदन और नेता विरोधी दल ने एवं अन्य नेताओं ने प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, सोवियत संघ के श्री चेरनेन्को के निधन के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, सोवियत संघ के श्री चेरनेन्को एक गरीब किसान परिवार में जन्मे और बहुत लम्बी तरक्की करते हुए सोवियत संघ की बागडोर संभाली थी। उनको कार्य करने का बहुत कम समय मिला लेकिन इस अल्पकाल में उन्होंने विकासशील देशों से अच्छे रिश्ते कायम करने का प्रयास किया तथा विश्व शांति के ध्येय को आगे बढ़ाया। उन्होंने खासतौर से भारत से मैत्री प्रगाढ़ करने में योगदान दिया। मैं उनके निधन पर अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोवियत संघ के अध्यक्ष एवं उनके परिवार तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राज किशोर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एवं माननीय सदस्यगण, रूस के राष्ट्रपति श्री चेरनेन्को की मृत्यु से बहुत बड़ी क्षति हुई है। दुनिया के शांति आंदोलन के लिये उन्होंने युद्ध के खिलाफ जो संघर्ष किया, मानवता की रक्षा के लिये जो योगदान दिया, वह स्मरणीय है। हम देखते हैं कि दुनिया इस समय युद्ध की लपटों में है। आप जानते हैं कि योरोप में साम्राज्यवादियों की तरफ से मिसाइल्स लगी हुई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य था, सोवियत यूनियन को चारों तरफ से घेरने का और शांति आंदोलन की जो चर्चा करते हैं उनका नाम ही मिटा देने का साम्राज्यवादियों का संकल्प था। लेकिन चेरनेन्को के नेतृत्व में दुनिया में जो युद्ध चलाना चाहते थे, उसको रोकने के लिये सतत प्रयास किया गया और एकतरफा एलान किया कि हम मिसाइल्स का प्रयोग पहले नहीं करेंगे एटामिक शस्त्रों के प्रयोग की पहल नहीं करेंगे। साम्राज्यवादियों की चालें जगह-जगह होती रहीं लेकिन उन्होंने हर जगह उसको तोड़ने की कोशिश किया था। कमजोर वर्गों में युद्ध भड़काने की साजिश के खिलाफ सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री चेरनेन्को थे और पार्टी के वह महासचिव थे, जो हमारे बीच नहीं

हैं । उनके प्रति मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी इन भावनाओं को उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री देव कुमार यादव--

माननीय, श्री चेरनेन्को के निधन से विश्व शांति का एक महान योद्धा हमारे बीच से उठ गया है । उनको बहुत कम समय तक अपने देश की जनता का नेतृत्व करने का अवसर मिला, लेकिन जितने दिन वह रहे विश्व शांति के क्षेत्र में उन्होंने महान योगदान दिया और विश्व के इतिहास में वह एक शांति योद्धा के रूप में जाने जायेंगे । उनके सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दलों ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनकी जनता और उनके परिवार तक हमारे लोगों की संमवेदनायें आप भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

राष्ट्रपति चेरनेन्को के निधन के बारे में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । रूस और हिन्दुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वह दुनियां को जाहिर हैं । वह हमारे सच्चे दोस्त थे । जो गाढ़े वक्त में काम आए, वह मित्र और दोस्त समझा जाता है । इतने कम वक्त में श्री चेरनेन्को साहब ने हिन्दुस्तान के साथ सम्बन्ध मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, वह आपके सामने हैं । मैं इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सब माननीय सदस्यों की तरफ से भी रूस सरकार को आपकी संमवेदनाएं भेजने की चेष्टा करूंगा । अब आप दो मिनट के लिए मौन खड़े हो जाएं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शांति के लिये अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री धर्मवीर, शारदा भक्त सिंह, शिवदान सिंह, बादशाह गुप्त, शिवस्वरूप सिंह, कोतवाल सिंह भदौरिया, उपेन्द्र बहादुर सिंह, रूल्हा सिंह, तपेश्वर, राम प्रसाद, भगवतीदीन तिवारी, काशीनाथ मेहरोत्रा तथा रामदास आर्य के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ आपको और आपके माध्यम से सदन को अपने कुछ माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के निधन के बारे में सूचित करने का दुखद दायित्व निभाना पड़ रहा है । मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य श्री धर्मवीर, शारदाभक्त सिंह, श्री शिव दान सिंह, श्री बादशाह गुप्त, श्री शिव स्वरूप सिंह, श्री कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रूल्हासिंह, श्री तपेश्वर, श्री राम प्रसाद, श्री भगवती दीन तिवारी, श्री काशीनाथ मेहरोत्रा तथा श्री रामदास आर्य हमारे बीच नहीं रहे और उनकी सेवाओं से प्रदेश और देश को वंचित होना पड़ा । श्रीमन्, विधान सभा के हमारे भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मवीर जी का 22 दिसम्बर, 1984 को देहली इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज में देहावसान हो गया । श्री धर्मवीर एक प्रभावशाली और होनहार व्यक्ति थे और उनसे हमें बड़ी आशाएं थीं । जिस प्रकार उन्होंने कर्त्तव्यनिष्ठा से, सेवा भावना से समाज में और राजनीति में सेवा कार्य शुरू किया वह स्वयं में एक बड़ा प्रभावोत्पादक प्रकरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है । श्रीमन्, वह तीन बार इस विधान सभा के सदस्य चुने गये और जुलाई 80 में वह राज्य सभा के सदस्य चुने गये । वह यहां के शासन में राज्य परिवहन मंत्री, खाद्य एवं खापूर्ति राज्य मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री रहे । सन 1979 में वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये और इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश और प्रदेश की राजनीति में और जनसेवा में अत्यन्त सक्रिय योगदान दिया । राज्यसभा के सदस्य के रूप में वह सर्व प्रथम उपमंत्री के रूप में श्रम मंत्रालय में सुशोभित रहे और फिर जनवरी, 83 में पुनर्वास मंत्रालय के राज्य मंत्री बने । श्रीमन, एक ऐसा कर्मठ नेता और साथी, जिन्होंने अपने परिश्रम शक्ति से, निष्ठा भावना से राजनीति में अपूर्णीय योगदान दिया, शासन में उन्होंने अपनी छवि दी, वह बहुत दिनों तक हमारे बीच याद रहेगी । वह निर्बल वर्ग के सबल प्रतिनिधि थे । उनकी व्यक्तिगत मित्रता भी सदैव याद रखी जायगी । उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो प्रत्येक राजनीतिक में होने चाहिये । कर्मठता के, शालीनता के और मित्रोचित अपनी बात को निभाने वाले वह पक्के साथी थे । श्रीमन ऐसे एक सम्मानित साथी के निधन से हम सब को बहुत दुख है उनका निधन ऐसे मौके पर हुआ जब वह लोक सभा का चुनाव लड़ रहे थे । हमको उनसे बहुत आशायें थीं । मैं श्रीमन आपसे अत्यन्त दुख के साथ निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक समवेदना का संदेश पहुंचा देने की कृपा करें ।

उनके सुपुत्र श्री शैलेन्द्र अब इस विधान सभा के सदस्य चुने गये हैं । हम सबकी समवेदनायें उनके साथ हैं और हमें आशा है कि वह अपने स्वर्गीय पिता जी के चरण सिन्हों पर चलते हुये उनके आदर्शों को साकार करेंगे । हम सबकी समवेदनायें श्री शैलेन्द्र और उनके संतप्त शोक परिवार तक पहुंचाने का आप कष्ट करें ।

श्रीमन, श्री शारदा भक्त सिंह जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था । उनका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था । वह एक सुन्दर, भव्य व्यक्तित्व वाले, मृदुभाषी बातों के धनी गरिमा के धनी व्यक्ति थे । उनका अपना एक विशेष योगदान संसदीय पद्धति को यहां निभाने में रहा । वह चार बार इस विधान सभा के सदस्य हरदोई जिले से चुने गये । 66 वर्ष की उनकी आयु थी । वह 1963 में विपक्ष के नेता रहे थे । 1964 में वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और सन 1977 में वह राजस्व मंत्री के पद पर सुशोभित हुए । हरदोई नगर पालिका के वह दो बार अध्यक्ष रहे । तो एक ऐसा कर्मठ नेता और साथी आज हमारे बीच में नहीं है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि श्रीमन, उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक-तम समवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, अलीगढ़ जनपद के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शिवदान सिंह जी का निधन 87 वर्ष की उम्र में 10 दिसम्बर, 1984 को हो गया । वे 16 वर्ष तक इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं । सन् 1921 से वह आजादी की लड़ाई में आ गये और अलीगढ़ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में उनका नाम चिरस्मरणीय रहेगा । शिक्षा जगत में और समाज सेवा के जगत में उनका प्रमुख योगदान रहा है । उन्होंने इगलास हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जो जवाहर इंटर कालेज के रूप में अलीगढ़ के सर्वश्रेष्ठ कालेजों में एक है । उनका स्वभाव सादा था । मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला । 1952 से 1957 तक उनकी व्यक्तिगत छवि मुझे यहां पर देखने को मिली । उनका आशीर्वाद हम जैसे सदस्यों के लिए उस समय भी एक सहायता का स्रोत रहा ।

श्रीमन्, हमारे स्वर्गीय शिवदान सिंह जी के सुपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जी इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं । वह नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं । कृपया

श्री राजेन्द्र सिंह जी को, वह योग्य पिता के सुयोग्य सुपुत्र हैं, कृपया मेरी ओर से हमारी हार्दिकतम समवेदना श्री राजेन्द्र सिंह तक और उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री बादशाह गुप्ता 83 वर्ष की उम्र के थे । उनकी हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। वह मैनपुरी जनपद के ही नहीं, प्रदेश के एक जाने-माने नेता थे । वह 1947 के निर्वाचन में जिला मैनपुरी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा वर्ष 1952 से 1957 तक तथा 1962 से 1967 तक लोक सभा के सदस्य रहे थे । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अनेक बार वह जेल भी गये। श्री गुप्ता जी मैनपुरी की अनेक संस्थाओं के सदस्य, सचिव तथा अध्यक्ष आदि पदों पर भी आरूढ़ रहे और मैनपुरी बार एसोसियेशन को भी उन्होंने वर्षों तक सुशोभित किया । श्रीमन्, ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से जो हमारी क्षति हुई है, वह अपूर्णीय है। कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री शिव स्वरूप सिंह जी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा एवं भूतपूर्व सांसद तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से मेरा व्यक्तिगत परिचय बहुत दिनों से था । 1931 से लेकर 1942 तक वह आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे । इसको स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भलीभांति जानते हैं । वह एक बार विधान सभा के सदस्य रहे और 6 वर्ष तक विधान परिषद् के सदस्य रहे । वह खादी ग्रामोद्योग के भी निदेशक रहे । जिला डेवलेपमेन्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे । उनका व्यक्तित्व अत्यन्त निर्भीक रहा और प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान रहा । श्रीमन्, स्वर्गीय श्री शिव स्वरूप सिंह के शोक-संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया फर्रुखाबाद के जाने-माने नेता थे । श्रीमन्, मुझे इस विधान सभा में साथ-साथ बैठने का अवसर मिला । वह प्रखर विचार-धाराओं के व्यक्ति थे । दो बार वह इस विधान सभा के सदस्य बने और किसानों के लिए वह निरंतर संघर्ष करते रहे । उनको ग्राम सभा ने किसी और को प्रधान निर्वाचित करने से इन्कार कर दिया । श्रीमन्, वह किसान संघ के मंत्री रहे और सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता रहे और साथ-साथ जितने भी जिले में जो सामाजिक और शैक्षिक कर्तव्य थे, उनका भी उन्होंने यथोचित निर्वहन किया। श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री भदौरिया के शोक-संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह जिन्हें सुल्तन भइया के नाम से भी पुकारा जाता था । वह हमारे बीच में नहीं रहे । वह खीरी जिले से निर्वाचित होकर प्रथम बार विधान सभा के सदस्य हुए थे । उन्होंने निरन्तर आन्दोलनों में बहुत रुचि लिया था । श्रीमन्, खीरी से वह चुने गये थे और उनकी सेवाओं से हमें असामयिक वंचित होना पड़ा । कृपया हमारी हार्दिक समवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री रूल्हा सिंह मई, 1980 में सरसावां क्षेत्र जिला सहारनपुर से चुनकर आये थे । वह गन्ना किसानों के बहुत समय तक प्रतिनिधि रहे और सरसावां चीनी मिल स्थापित करने में उनका हाथ रहा । हमने एक समाजसेवी और प्रदेश ने एक निष्ठावान कार्यकर्त्ता खो दिया । श्रीमन्, हमारी हार्दिक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री तपेश्वर 1980 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ से निर्वाचित होकर प्रथम बार इस सम्मानित सदन में आये थे वह केवल 45 वर्ष के थे । श्रीमन्, श्री तपेश्वर के निधन से

आजमगढ़ जनपद ने एक श्रेष्ठ समाजसेवी नेता खो दिया और इस प्रदेश ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता खो दिया । श्रीमन्, कृपया उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना का संदेश भेजवाने का कष्ट करें ।

रायबरेली जनपद के कर्मठ नेता राम प्रसाद जी इस सदन के 4 बार सदस्य रहे । दुर्भाग्य से उनका निधन 70 वर्ष की अवस्था में हो गया । वह 1952, 1957, 1967 एवं 1969 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के सदस्य चुने गये । रायबरेली जनपद के विकास में उन्होंने काफी रुचि दिखायी । उनके साथ 1952 में जब हम पहली बार आये तो बैठने का मौका मिला और मैं काफी प्रभावित था । जो माननीय सदस्य उनके सम्पर्क में आता था उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होता था। माननीय राम प्रसाद जी के निधन से हम सब लोग दुखी हैं । कृपया इस सदन की ओर से शोक संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

जौनपुर जिले के श्री भगतती दीन तिवारी का निधन 26 सितम्बर, 1984 को हो गया । वे 63 वर्ष के थे। पंडित जवाहर लाल की प्रेरणा से वह स्वतन्त्रता संग्राम में कूदे थे । 1931 से लेकर 1942 तक जितने आन्दोलन हुए उनमें उन्होंने सक्रिय सहयोग किया । जौनपुर जिले की शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक रहे, कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रबन्धक तथा भूटान समिति के अध्यक्ष रहे । उन्होंने जीवन भर जौनपुर जिले की सेवा की । मेरी प्रार्थना है कि इस सदन की शोक संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुचाने का कष्ट करें ।

हरदोई जिले के श्री काशीनाथ मेहरोत्रा का निधन 74 वर्ष में 28 दिसम्बर, 1984 को लखनऊ मेडिकल कालेज में हो गया । वह संडीला से 2 बार विधान सभा के सदस्य चुने गये थे । वह जिले की शिक्षण संस्थाओं के मंत्री, उपमंत्री रहे। बागवानी और कृषि कार्यों में उनकी रुचि थी । जिला जनसंघ के वह अध्यक्ष रहे । उनके निधन से हम लोग दुखी हैं । कृपया सदन की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री राम दास आर्य का निधन 28 दिसम्बर, 1984 की रात्रि में 75 वर्ष की उम्र में हो गया। वह प्रथम और द्वितीय विधान सभा के सदस्य मुजफ्फरनगर जिले से रहे । उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। वह मुजफ्फरनगर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे तथा प्रख्यात समाजसेवी थे । उन्होंने रैवान पाठशाला की स्थापना की । उनके निधन से बहुत क्षति हुई है। कृपया इस सदन की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय नेता सदन ने 13 माननीय सदस्यों के बारे में प्रस्ताव है निधन के सम्बन्ध में और जो विचार व्यक्त किया उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इनमें से कई ऐसे माननीय सदस्य थे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था । श्री रूल्हा सिंह हमारे दल के प्रमुख सदस्य थे और यह किसानों की समस्याओं को लेकर जीवन भर लड़ते रहे । उनके निधन से सहारनपुर जिले को बहुत क्षति हुई है । उनके दुखी परिवार तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री उपेन्द्र सिंह खीरी जिले के सामाजिक नेता थे । उनके निधन से हम सब दुखी हैं । उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री तपेश्वर आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे । अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी । ऐसे मौके पर उनके निधन से आजमगढ़ की बहुत क्षति हुई है । कृपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरे दल की संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री रामप्रसाद रायबरेली के प्रमुख नेताओं में थे । इनके निधन से रायबरेली ने एक बहुत बड़ा समाजसेवी खो दिया है इनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें । श्री शिवस्वरूप सिंह मुरादाबाद के नेता थे उनकी इस सदन में विशेष भूमिका रही है, उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें । श्री भगवतीदीन तिवारी के न रहने से जौनपुर जिले की बहुत क्षति हुई है । उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें देने की कृपा करें श्री कोतवाल सिंह भदौरिया के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है । यह सोशलिस्ट पार्टी के थे । यह छिबरामऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक हुए । यह एक कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते थे । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुचाने का कष्ट करें । श्री बादशाह गुप्त मैनपुरी जिले के रहने वाले थे । उनके परिवार से मेरा काफी सम्पर्क रहा । यह पहले कांग्रेस दल में थे लेकिन जब जनता पार्टी बनी तो यह उसमें शामिल हो गये और तभी यह हमारे निकट आए । यह बहुत सरल स्वभाव के थे । वह एक अच्छे समाज सेवी थे । आज वह हमारे बीच नहीं हैं उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें देने का कष्ट करें ।

श्री शिवदान सिंह के बारे में मान्यवर, जितना कहा जाए बहुत कम होगा वह मननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल भी जो रह चुके हैं, उनके पिताजी थे । उनके सम्पर्क में मैं काफी रहा हूं, वह राजेन्द्र सिंह जी से कम मुझे नहीं समझते थे । मान्यवर, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और टिकट का चयन चल रहा था, उस समय जो उन्होंने मुझे पत्र लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आपको राजेन्द्र सिंह से ज्यादा मानता हूं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूं । वह हमारे पिता के समान थे । वह एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे तथा सदन के कई बार सदस्य भी रह चुके थे । आपसे प्रार्थना है कि श्री राजेन्द्र सिंह जी को हमारे दल की और हमारी संवेदनायें देने का कष्ट करें ।

श्री धर्मवीर इलाहाबाद के रहने वाले थे । जब यह विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आए, तब मेरा और इनका कारा पास पास था, यह बहुत मिलनसार व्यक्ति थे । यह कांग्रेस पार्टी के नेता रहे । आज इलाहाबाद ने एक अच्छा समाजसेवी खो दिया है । इस बार श्री धर्मवीर सिंह जी के पुत्र, जो विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उन तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें । श्री रामदास आर्य इस सदन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं । उनके निधन से मुजफ्फरनगर को बहुत क्षति हुई है । उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें । श्री शारदा भक्त सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में से थे । मेरे चुने जाने से पहले, मेरे कहने पर वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे दल में शामिल हो गये थे । यह बिलग्राम से चुनाव लड़ रहे थे । एक गांव में इन्होंने भाषण दिया था दूसरे गांव में जब यह पहुचे रहां इनका हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया । क्योंकि वह मेरे आग्रह पर मेरी पार्टी में आए थे, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी तथा मेरे दल को संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीकाश नाथ मेहरोत्रा सरल स्वभाव के थे । उनके परिवार तक मेरी और मेरे दल की संवेदना भेजने की कृपा करें ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, हमारी इस विधान सभा के 13 भूतपूर्व सदस्यों को, जिनको

श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं उनमें से एक श्री धर्मवीर जी इलाहाबाद से आते हैं । वह हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे और उसके बाद संगठन कांग्रेस में बहुत दिन तक रहे । कांग्रेस (आई) में जब वे गये, उसके बाद मंत्री बने, लेकिन उनके और हमारे सम्बन्ध बहुत मधुर रहे । कई बार उन्होंने मंत्रीपद सुशोभित किया । यहां से जाने के बाद दिल्ली में वहां भी उप मंत्री और राज्य मंत्री बने । सौभाग्य से उनके सुपुत्र शैलेन्द्र जी यहां विधायक चुनकर आए हैं । नौजवान आदमी हैं, वह भी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, मुझे उम्मीद है । मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से आपसे आग्रह करूंगा कि उनके परिवार को हमारी ये संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें ।

माननीय, शारदा भक्त सिंह जो कि हरदोई जिले से आते हैं, कई बार विधायक रहे, हमारे साथ मंत्रि-मण्डल में सदस्य भी रहे । वे सौम्य और मधुर भाषी थे । मैंने उनको कभी गुस्सा करते देखा नहीं । आज उनके निधन से हम सभी लोगों को दुख है और खास तौर से हरदोई जिले को उनके निधन से बहुत क्षति पहुची है । मैं उनके परिवार को शोक संवेदना देता हूं, अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से ।

माननीय श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ सुल्तन भइया का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया । उन्होंने एग्रीकल्चर की पढाई पढ़ी थी और 1980 के सामान्य निर्वाचन में यहां विधान सभा में चुनकर आए थे । वर्ष 1971 में वे गांव सभा मिदनिया के प्रधान के पद पर रहे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया । कोआपरेटिव मूवमेन्ट में सहकारिता के द्वारा उन्होंने प्रदेश की सेवा की ।

माननीय रुल्हा सिंह का 64 वर्ष की आयु में 16 नवम्बर, 1984 को निधन हो गया । ये सहारनपुर के रहने वाले थे और ये उस क्षेत्र में 1980 में पहली बार चुनकर आए । विधान सभा में 5 साल तक सदस्य रहे गन्ना समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी विशेष रुचि थी । उनके निधन से उस क्षेत्र में गन्ना किसानों को बहुत क्षति हुई है । मेरा दल और मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके परिवार को हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें ।

माननीय, श्री तपेश्वर जी की आयु केवल 45 वर्ष की थी, वे आजमगढ़ जिले से आते थे और 1980 में पहली बार यहां सदस्य चुनकर आए और यहां पर उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं खोलीं । उनके माध्यम से आजमगढ़ ऐसे पिछड़े इलाके को उन्होंने सेवा की । मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । भगवान ने इतनी कम उम्र में उनको हमसे छीन लिया । आपसे आग्रह है कि उनके शोक-संतप्त परिवार को हमारे और हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें ।

माननीय, श्री राम प्रसाद जी का निधन 13 सितम्बर, 1984 को हृदय-गति रुक जाने से हुआ उनकी उम्र 70 वर्ष की थी । वे रहने वाले महाराष्ट्र के थे, लेकिन रायबरेली में उन्होंने काम करना शुरू किया और 1957 से लेकर 1969 तक वे रायबरेली से निर्वाचित हुए और वहीं की जनता की उन्होंने सेवा की । राम प्रसाद जी आई० टी० आई० और जिला परिषद् की कमेटियों में थे और रायबरेली के प्रमुख नेताओं में रहे हैं । मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे आग्रह करता है कि कृपया इस श्रद्धांजलि को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

माननीय, श्री शिव स्वरूप सिंह जी, जो मुरादाबाद के रहने वाले थे,

वे 1952 में पहली बार चुन कर आए और उनके बाद विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य रहे । श्री शिव स्वरूप सिंह जी ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था और सन 31 से ले करके 47 तक कई बार जेल गये । मान्यवर, ऐसे निष्ठावान व्यक्ति के प्रति मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मेरा आपसे आग्रह है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी यह श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री भगवती दीन त्रिवेदी, जिनका निधन 83 वर्ष की परिपक्व आयु में हुआ, जौनपुर के रहने वाले थे और आपने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से बी० ए० तथा एल० एल० बी० की परीक्षाएं उस समय उत्तीर्ण की जब बहुत कम लोग इतनी शिक्षा पाते थे । वे 1952 में पहली बार विधान सभा के सदस्य चुनकर आए और तब से लगातार कई बार इस सदन के लिये चुने गये । राजनीति के अलावा और भी अनेक सक्रिय ढंग से जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कोआपरेटिव सोसाइटीज के क्षेत्र में और भूदान के द्वारा अपनी सेवाएं जौनपुर को अर्पित की । हम और हमारा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हैं आपसे आग्रह है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को यह श्रद्धांजलि भेजने का कष्ट करें ।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया जो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे । वे सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति थे । वे 1957 में छिबरामऊ से चुनकर आए थे । फिर 1962 में दोबारा इसी क्षेत्र से चुनकर आए । उनका लगानबन्दी आन्दोलन जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे, चलाने में प्रमुख हाथ था । ऐसे निष्ठावान व्यक्ति के प्रति हम और हमारा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता हैं और आपसे आग्रह करता है कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी यह श्रद्धांजलि भिजवाने का कष्ट करें ।

श्री बादशाह गुप्ता जी का निधन 12 नवम्बर, 1984 को हुआ । ये 83 वर्ष के थे । उनकी शिक्षा-दीक्षा आगरा और इलाहाबाद में हुई । ये मैनपुरी में वकालत करते थे और अच्छे वकीलों में माने जाते थे । ये 1947 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए और उसके बाद 52 से 57 तक व 1962 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे । श्री गुप्ता मैनपुरी के रहने वाले थे, लेकिन उनका योगदान पश्चिमी जिलों के कई जिलों में अधिक था । ऐसे निष्ठावान व्यक्ति के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अग्रह करता हूं कि मेरी और मेरे दल की यह श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार को भेजने का कष्ट करें ।

श्री शिवदान सिंह, जो भू० पू० नेता विरोधी दल माननीय श्री राजेन्द्र सिंह जी के पिता थे, उनका 10 दिसम्बर, 1984 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है । वह भी 3-4 बार इस विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने भी इस विधान सभा में अपनी ओर से काफी उपलब्धियां की । मेरा दल और स्वयं मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह आशा करता हूं कि आप हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करेंगे । वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे ।

श्री राम दास आर्य इनका निधन 28 अक्तूबर, 1984 को हुआ । इन्होंने भी स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था । यह मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे । यह मुजफ्फरनगर नगर पालिका में 5 वर्ष तक चेयरमैन भी रहे और उसके बाद यह विधान सभा के सदस्य भी रहे । उनके प्रति मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आपसे यह आशा करता हूं कि आप उनके परिवार

तक हमारी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करेंगे ।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा, 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया । यह संडीला के रहने वाले थे । 1967 से 1974 तक यह विधान सभा के सदस्य रहे । उनके प्रति मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह आशा करता हूं कि आप उनके परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करेंगे । वह उप मन्त्री भी रहे और शिक्षा संस्थाओं से उनका सीधा सम्बन्ध था । उन्होंने हरदोई में संडीला में कई विद्यालयों का संचालन भी किया ।

मान्यवर, इन दिवंगत आत्माओं के प्रति पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, काल चक्र की क्रूर गति इस पर मान्यवर, किसी का नियंत्रण नहीं है । मान्यवर, लोग जाते ही हैं, लेकिन जब ऐसे लोग जाते हैं जिनकी उपस्थिति, जिनका मार्गदर्शन जो समाज को गति प्रदान करता है, ऐसे लोगों के न रहने से स्वभाविक रूप से दुख होता है । आज इस आदरणीय सदन में ऐसी ही कुछ महान विभूतियों के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया जा रहा है, जो हमारे बीच में नहीं है ।

स्व0 श्री शारदा भक्त सिंह, जिनके नजदीक रहने का मुझे भी सौभाग्य मिला था, निश्चित रूप से अत्यन्त ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे । इन्होंने एम0 ए0, एल0-एल0 बी0-- यह दोनों ही उपाधियां प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थीं । यह एक श्रेष्ठ कोटि के वकील थे । एक अच्छे प्रशासक के रूप में इनकी अपनी ख्याति थी । इनके न रहने से प्रदेश के राजनीतिक जीवन में एक रिक्तता उत्पन्न हुई है ।

स्व0 श्री शिवदान सिंह, यह माननीय श्री राजेन्द्र सिंह जी के पिता थे । उनकी कोठी पर उनसे एक-आध बार जरूर मुझे बात करने का अवसर मिला था । इस वृद्धावस्था में भी उनके प्रेरणादायक विचार थे । समाज की समस्याओं के हल के प्रति उनकी सूझबूझ से अत्यन्त प्रेरणा मिलती थी ।

स्व0 श्री काशी नाथ, यह अत्यन्त ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे । राजनीतिक क्षेत्र और समाज क्षेत्र में इनका विशेष लगाव था । इनके न रहने से एक अपूरणीय क्षति हुई है । इसके अतिरिक्त और महान विभूतियों के प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित की जो रही हैं--सर्वश्री उपेन्द्र बहादुर सिंह, रुलहा सिंह, महेश्वर सिंह, राम प्रसाद, शिव स्वरूप सिंह, भगवती दीन तिवारी, कोतवाल सिंह भदौरिया, बादशाह गुप्ता, धर्मवीर, तथा रामदास के निधन के प्रति जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जनता पार्टी श्री रेवती रमण सिंह जी ने व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि श्रद्धा के यह भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के बीच में हमारे प्रदेश के अनेक योग्य निष्ठावान राजनीतिक सामाजिक नेता चले गये, मान्यवर, उनमें से कई लोगों से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध भी रहा । माननीय शारदा भक्त सिंह जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में ही थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत ही सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे । श्री शिव स्वरूप सिंह जी हमारे जिले के रहने वाले थे । वह भी बहुत ही सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे । उनके साथ बैठकर बात करने में बहुत आनन्द आता था । उनके साथ विचार-विमर्श करके बड़ी प्रेरणा मिलती थी । ऐसे ही अनेक साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे । वे सभी योग्य निष्ठावान व्यक्ति थे । उनके निधन से इस प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है । माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उन लोगों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे आग्रह है कि आप हमारी इन समवेदनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

माननीय, हमारे बीच आज 13 भूतपूर्व माननीय सदस्य नहीं रहे । उनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भाव प्रकट किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इस समवेदना को आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

श्री राज किशोर--

माननीय अध्यक्ष महोदय एवम् सम्मानित सदस्यगण, जिन विभूतियों के बारे में यहां पर शोक प्रस्ताव आये, मैं चाहता हूं कि उनमें एक नाम और जोड़ दिया जाय श्री शराफत हुसैन जी का ।

श्री अध्यक्ष--

इसकी सूचना बाद में आयी है । इसे बाद में लिया जायेगा ।

श्री राज किशोर--

जिन लोगों के बारे में यहां पर कहा गया और जिनके गुणों का बखान यहां पर किया गया, नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो अपने भाव व्यक्त किए, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समवेदना को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, प्रदेश की महान् विभूतियों का इस प्रकार इकट्ठा उठ जाना एक बहुत चिन्ता का विषय है । इन महान् विभूतियों के प्रति माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन है कि हमारी ये समवेदनायें आप उन सभी लोगों के शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचान का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे बीच से हमारे 13 साथी एक-एक करके चले गये । माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भाव व्यक्त किये हैं एवम् श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । पूरे सदन को बहुत दुख है । सर्वश्री उपेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ सुल्तन भइया, रुल्हा सिंह, तपेश्वर, राम प्रसाद, शिव स्वरूप सिंह, भगवती दीन तिवारी, कोतवाल सिंह भदौरिया, बादशाह गुप्ता, शिवदान सिंह, धर्मवीर, रामदास आर्य, शारदा भक्त सिंह और श्री काशीनाथ मेहरोत्रा, ये सभी लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धर्मवीर से मेरा जातीय लगाव था। जिस वक्त उनका निधन हुआ, उस वक्त में उनके चुनाव में था। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे किन्तु कुछ आंसू इस तरह से पुंछ जाते हैं कि उनका लड़का इस सदन का सदस्य है।

इसी तरह से श्री शिव दान सिंह जी से मेरा पारिवारिक ताल्लुक था वे हमारे पुराने साथी अलीगढ़ के थे और उनसे हम प्रेरणा लेते थे। सौभाग्य है कि राजेन्द्र सिंह जी, नेता विरोधी दल भी रहे हैं और सदन में उनकी उपस्थिति से सदन की मर्यादा बढ़ती थी। आज हमारे अन्य साथी अपने-अपने हल्के, अपने-अपने दायरे में जो काम उन्होंने किया है, वह आपके सामने है और उनका ब्यौरा माननीय नेता सदन ने आपके बीच रखा है। मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से जो आपकी शोक समवेदनायें हैं और श्रद्धांजलियां हैं, उनके परिवार तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा।

इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए।)

भारत के भूतपूर्व एवं प्रधानमंत्री श्री यशवन्त राव बलवन्त राव चह्वाण, लोक सभा के भूतपूर्व सचिव एवं राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महेश्वर नाथ कौल तथा उर्दू के शायर श्री फैज अहमद 'फैज' के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त)--

माननीय, इस सम्मानित सदन की यह परम्परा रही है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तथा राष्ट्रीय जीवन में जिनका अति महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, ऐसे महामनीषियों के निधन पर भी उन्हें स्मरण करते हैं। मैं इस सन्दर्भ में श्री यशवन्त राव चह्वाण, श्री महेश्वर नाथ कौल और श्री फैज अहमद 'फैज' के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अत्यन्त दुख के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण पिछले कई दशकों से राजनीतिक जीवन के स्वनाम-धन्य अग्रणी रहे हैं। सन् 1942 की क्रान्ति में महाराष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन को चलाने में उनकी एक मुख्य भूमिका रही है। सतारा के जाने-माने स्वतंत्रता संग्राम के क्रान्तिकारियों में उनका नाम ब्रिटिश साम्राज्यशाही के लिये एक चुनौती रहा है। श्री चह्वाण अपनी गम्भीरता, नेतृत्व की कुशलता और क्षमता के लिए विख्यात रहे। महाराष्ट्र की विधान सभा में दीर्घकाल तक सदस्य के रूप में, पहले बम्बई राज्य में और फिर महाराष्ट्र में पद्म विभूषित होकर एक सफल मुख्य मंत्री के रूप में और फिर केन्द्र में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री आदि अनेक अति महत्व के पदों को उन्होंने सुशोभित किया। वह केन्द्र में उप प्रधान मंत्री भी रहे, विरोधी दल के नेता भी रहे और जिस पद को भी उन्होंने सुशोभित किया, योग्यता से, निष्ठा से, कर्मठता से उन्होंने उस पद की मर्यादा बढ़ायी और देश की सेवा की। देश के हाल के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण सन्दर्भों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे एक राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के प्रति समर्पित नेता के निधन से जो अपूर्णनीय क्षति हुई है, वह हम सबके लिए दुखद है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप श्री चह्वाण के शोक सन्तप्त परिवार के प्रति इस सदन की हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री महेश्वर नाथ कौल, इस देश में संसदीय प्रक्रिया और संसदीय परम्पराओं

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के एक मुख्य ज्ञाता के रूप में जाने जायेंगे । जिस प्रकार उन्होंने 17 महत्व-पूर्ण वर्षों तक संविधान सभा के कार्य-निर्वाहक संसद और लोक सभा के सचिव के रूप में, इस देश की संसदीय परम्पराओं को विकसित होने में जो अपना योगदान किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा । उनकी पुस्तक जो उन्होंने शकधर के सहयोग से लिखी जो कि यहां कौल और शकधर की पुस्तक के नाम से हमारे देश में संसद में तथा अन्य विधान सभाओं और विधान मंडलों में जानी जाती है । 'मेज पार्लिय मेन्टरी प्रैक्टिस' के बाद इन्हीं की पुस्तक को वह स्थान प्राप्त है । संसद में और विधान मंडलों में बराबर वह प्रयोग होती रहेगी और संसदीय प्रणाली के ज्ञाता के रूप में उनका नाम चिरस्मरणीय रहेगा । उनकी पुस्तक हमें सदा उनकी याद दिलाती रहेगी ।

श्री कौल संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार के पंडित थे । उनके निधन से हमारी संसदीय प्रक्रिया के क्षेत्र में जितने ज्ञाता हुए हैं उनमें इनकी क्षति से स्थान अपूर्ण रहेगा । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सदन की शोक संतप्त भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री फैज अहमद "फैज" एक ऐसे व्यक्ति थ जिन्होंने अपने कृतित्व से न केवल अपने देश में, न केवल सारे महाद्वीप में, न केवल भारत में, न केवल पाकिस्तान में, न केवल बंगलादेश में, न केवल एशिया में, बल्कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी । उन्होंने क्लासिकल शायरी की । उन्होंने अपनी शायरी सारे संसार को दी इससे उनका नाम साहित्य जगत में, साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा ।

आज ऐसी स्थिति है कि महाकवि गालिब के बाद जो उच्चकोटि के शायरों के नाम लिए जाते हैं, उनमें फैज का नाम आता है । ऐसे महान शायर, ऐसे ख्याति प्राप्त इन्सान जनता का कर्मठ सेवक, सामाजिक अवाम के लिए जिसने ज्वलन्त भाषा में अपना दर्द व्यक्त किया, ऐसे महान व्यक्ति के उठ जाने से सभी दुखी हैं ।

श्री फैज पत्रकार भी रहे और सम्पादक भी थे । श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सदन की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जिन तीन महान विभूतियों के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो समवेदना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं । श्री यशवन्त राव चह्वाण इस देश के महान् नेताओं में से थे । उनके निधन से देश को बहुत ही क्षति हुई है । श्री महेश्वर नाथ कौल एक प्रख्यात संसदीय प्रणाली के ज्ञाता थे, उनके निधन से हम सब लोग बहुत दुखी हैं । उन्होंने जो अपनी पुस्तक संसदीय प्रणाली पर लिखी है, वह हम लोगों को संसदीय प्रणाली के निभाने में रास्ता दिखाती रहेगी और उस पुस्तक के कारण हम सब लोग हमेशा उन्हे याद करेंगे । श्री फैज अहमद "फैज" एक महान् कवि थ और लेखक थे । उनके निधन से साहित्यकारों को बहुत दुख हुआ है और हमारे देश के लोगों को दुख हुआ है ।

इन तीनों विभूतियों के निधन के सम्बन्ध में मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे और हमारे दल की ओर से यह समवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय, श्री यशवन्त राव बलवन्त राव चह्वाण एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने अपनी शुरुआत जिस प्रकार से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त और बड़े-बड़े नेताओं ने संसदीय मंत्री के रूप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में शुरुआत की, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के रूप में, वहां से चलकर वे न केवल उप प्रधान मंत्री हुए बल्कि मुझे याद है कि जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो यशवन्त राव चह्वाण महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी ने उन्हें वहां से लाकर रक्षा मंत्री बनाया था। यह उनकी प्रशासनिक क्षमता का द्योतक है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में उस समय जो कार्य शुरू किया, आज तक वह कार्य प्रगति पर है। भारत के इतिहास में यशवन्त राव चह्वाण का नाम हमेशा याद रखा जायेगा। उन्होंने विरोधी दल के नेता का पद भी सुशोभित किया और उसकी गरिमा को भी बढ़ाया।

मान्यवर, वाई0 बी0 चह्वाण उन राजनीतिज्ञों में से थे जो राजनीति के अलावा भी उनकी कोआपरेटिव मूवमेंट पर भी पकड़ थी और महाराष्ट्र के सहकारिता आन्दोलन में अग्रणी नेताओं में एक रहे हैं। उनके प्रति शोक समवेदना हम और हमारा दल अर्पित करता है।

इसके साथ ही साथ श्री एम0 एन0 कौल जो कि लोक सभा से रिटायर होने के बाद 4 साल तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे जो कि उनकी काबिलियत और विद्वता का परिचय देती है और आज जैसा कि माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने कहा है कि उनकी किताब, उनके जाने के बाद भी हम सब लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। जब तक उनकी किताब रहेगी तब तक कौल साहब जिन्दा रहेंगे हम लोगों के बीच में।

मान्यवर, फैज अहमद 'फैज' स्यालकोट में पैदा हुए थे। उन्होंने एम0 ए0 अंग्रेजी में किया था और वे अंग्रेजी के ही लेक्चरर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को जो नया अंजाम दिया है वह इतिहास में एक नई बात की है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जनता उनका नाम याद रखेगी। उन्होंने रूमानी शायरी का नई शुरुआत की जो कि अपने में एक हस्ती रखती थी। श्री फैज अहमद फैज गरीबों के दुख दर्द के बारे में भी लिखते थे। गरीबों के प्रति भी उनकी शायरी में ललक थी। उन्होंने उन लोगों के लिए भी जिनके लिए आम तौर पर लोग नहीं लिखते थे, उनके बारे में भी अपनी शायरी में लिखा और उनके दुख दर्द को प्रदर्शित किया। लियाकत अली की हत्या के बाद में वे पाकिस्तान जेल में बन्द हुए। ऐसे शायर के प्रति हम और हमारा दल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जिन तीन महान विभूतियों श्री यशवन्त राव चह्वाण, श्री एम0 एन0 कौल एवं फैज अहमद फैज के प्रति नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और अपनी शोक समवेदना इन सभी महान विभूतियों के प्रति व्यक्त करता हूं। हम आपसे यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारी इन भावनाओं को शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक, रमा शंकर--

मान्यवर, श्री यशवन्त राव चह्वाण राजनेता के रूप में, श्री एम0 एन0 कौल संसदीय आचरण परम्परा के क्षेत्र में, पुस्तकों के माध्यम से हमेशा याद रखे जायेंगे। उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। श्री फैज अहमद फैज जो इंकलाब के शायर थे, जो प्रगतिशील लेखक थे, न जाने कितने नौजवानों में उन्होंने प्रेरणा का संचार किया, हम लोग भी बहुत दिनों से उनकी शायरी और लेखन से प्रेरणा लेते रहे हैं। वह प्रकाश के पुन्ज, नहीं रहे। फैज साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं फैज साहब की यह चन्द लाइनें दोहराना चाहूंगा :

अनगिनत सदियों के तारीक बहिमना तिलिस्म,
रेशमों अतलसों कमखाब में बुनवाये हुए,
जां बजां बिकते हुए कूचे ओ बाजार में जिस्म,
खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाये हुए,
पीप बहता हुआ रिसते हुए नासूरों से,
जिस्म निकले हुए इमराज के तन्नूरों से,
लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे,
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे,
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग।

श्रीमन्, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों विभूतियों--राजनेता-चह्वाण और संसदीय आचरण एवं परम्पराओं के सम्बन्ध में लिखने वाले कौल साहब और फैज अहमद फैज साहब के शोक-संतप्त परिवारों को हमारी ओर से और हमारे दल को ओर से समवेदना संदेश भेज दें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

श्री चह्वाण, श्री कौल और फैज अहमद फैज साहब यह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट लोग थे। इनके निधन से पूरे देश को भारी क्षति हुई है तथा इनके सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य लोगों ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं और अपने दल की ओर से आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी हार्दिक समवेदना उनके परिवारों तक भेजने की कृपा करें।

श्री राज किशोर--

श्रीमन्, श्री यशवन्त राव चह्वाण, श्री कौल और श्री फैज अहमद फैज यह तीनों विभूतियां जो हमारे बीच नहीं रही बराबर इनका नाम आदर के साथ लिया जायेगा। यह लोग अपनी-अपनी जगह पर बहुत बड़े व्यक्तियों में से थे। फज अहमद फैज क्रांतिकारी और प्रगतिशील लेखक और शायर थे। मैं इन तीनों विभूतियों को अपनी पार्टी और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, श्री यशवंत राव चह्वाण, श्री महेश्वर नाथ कौल तथा श्री फज अहमद फज इन तीनों विभूतियों ने अपने-अपने क्षेत्र में मानवता और देश की जो सेवा की है वह सदैव स्मरणीय रहेगी। फैज अहमद फैज एक ऐसे निजाम शायर थे जिन्होंने शायरी को रोमांस के क्षेत्र से निकाल कर इन्कलाब और सियासी क्षेत्र में ला दिया और उन्होंने जो कुछ लिखा उससे हमारी मुक्ति-संघर्ष को बहुत बल मिला। वे सही माने में पूरी जनता की वाणी थे और जब तक साहित्य में जनवाणी के प्रति रुचि रहेगी उनका नाम सदैव बड़ी इज्जत से लिया जायेगा और वे सदैव अमर रहेंगे। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दलों ने जो भावनायें उनके प्रति व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इन सभी महानुभावों के परिवारों तक हम लोगों की समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

तीन बड़ी हस्तियां हमारे बीच से उठ गयीं। उनके निधन पर नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने अपनी जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री यशवंत राव बलवन्त राव चह्वाण जिन्होंने नीचे की सीढ़ी से ऊपर तक तरक्की की है। जैसा कि माननीय रेवती रमण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने कहा कि वह एक गरीब परिवार से थे और वह श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कदम पर चले। देश में जिन पदों पर वह रहे, वे आपके सामने हैं। श्री कौल जी को पार्लियामेंटरी तजुर्बा था। उनकी किताबों से हम सभी लाभ उठायें।

श्री फैज अहमद फैज साहब के संबंध में कहना चाहता हूं कि शायर चला जाता है लेकिन शायरी अमर रहती है। इन शब्दों के साथ में आप सभी की भावनायें और आप सभी की श्रद्धांजलि उनके परिवारों को भेज दूंगा।

अब आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सब दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और सोमवार को 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 56 मिनट पर सोमवार, 18 मार्च, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

लखनऊ : सचिव, विधान सभा,

16 मार्च, 1985 उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 12 पर)

उत्तर प्रदेश

राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह,

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

का

अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

पिछले दिनों सम्पन्न हुए सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के इस अधिवेशन के अवसर पर आप सबका स्वागत है। विधान सभा के लिये चुने गये सभी माननीय सदस्यों को निर्वाचन में जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त करने का गौरव मिला है जिसके लिए मैं आप में से उन सभी को हार्दिक बधाई देता हू जो सदस्य पहली बार चुनकर आये है या जो पुनर्निर्वाचित हुये हैं और जिनसे जनता को नई आशायें हैं, मैं उनको विशेष रूप से शुभकामनायें देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं आप सबसे यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप पूरी लगन और विश्वास के साथ अपना योगदान करेंगे और राज्य के विकास एवं प्रगति के लिए निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

आज इस अवसर पर हमें अपने देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की याद आना स्वाभाविक ही है। गत 31 अक्तूबर को उनकी जघन्य हत्या से न केवल भारत की जनता वरन् विश्व की समस्त शान्तिप्रिय जनता मर्माहत हो गई। लगभग दो दशकों के उनके कुशल और समर्थ नेतृत्व में भारतवर्ष ने निरन्तर प्रगति की और विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ा। मैं दिवंगत नेता को अपनी ओर से तथा आप की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।

प्रदेश की जनता ने पिछले चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करके स्थिरता व विकास के लिए स्पष्ट बहुमत वाली सरकारों की स्थापना की। मेरी सरकार इस पृष्ठभूमि में जनादेश को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओ को मूर्त रूप देने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहेगी।

जैसा कि आपको विदित है, प्रदेश के आर्थिक ढांचे में कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर्ष की बात है कि खाद्यान्न के क्षेत्र में मेरी सरकार के प्रयासों और किसान भाइयों के परिश्रम व सहयोग के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्न उत्पादन के लक्ष्य को हमने पांच साल के बजाय चार साल में ही पूरा कर लिया है। एक खुशी की बात यह भी है कि पिछले कुछ सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त की है। खरीफ में प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में 110 लाख टन की पैदावार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया

है । उत्पादन की यह वृद्धि उत्पादकता में लगभग एक कुंतल प्रति हेक्टेयर वृद्धि के कारण सम्भव हो सकी है । किसानों की फसलों को दैवी आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना पिछले वर्ष आरम्भ कर दी गई थी । इस वर्ष रबी में सीमान्त तथा लघु कृषकों को देय प्रीमियम पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है जिससे प्रदेश में लगभग 32 करोड़ धनराशि की बीमा कराया गया और इससे लगभग 4 लाख कृषक लाभान्वित हुये । प्रदेश में कृषि प्रसार प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना (ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम) चालू की जा रही है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्णकालिक 'प्रोफेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस' की स्थापना करना है जिसका निरन्तर सीधा सम्बन्ध कृषकों से होगा ताकि कृषकों को कृषि उत्पादन से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होता रहे और आवश्यक निवेशों की पर्याप्त और सामयिक आपूर्ति होती रहे । साथ ही इससे कृषि उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं का समय से समाधान भी होता रहेगा ।

उत्पादन में इस आशातीत वृद्धि के साथ-साथ किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु खाद्यान्नों की बड़े पैमाने पर खरीद की व्यवस्था भी की गई । इस वर्ष 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया । इसी प्रकार 23·50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक है । गेहूं और चावल दोनों की खरीददारी में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान रहा ।

खाद्यान्नों के साथ-साथ प्रदेश में गन्ना उत्पादन का एक अपना अलग महत्व है । गन्ना विकास और चीनी उद्योग के क्षेत्र में नीतियों एवं कार्यों का निरूपण प्रदेश में कृषि तथा औद्योगिक विकास की समग्रता को ध्यान में रखते हुये किया जाता है । इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा गया है कि गन्ना विकास के साथ दूसरी फसलों के उत्पादन का सन्तुलन न बिगड़े, चीनी उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही खांडसारी और गुड़ के उत्पादन को भी समुचित प्रोत्साहन मिले तथा गन्ना किसानों और उपभोक्ताओं के हितों का सदैव ध्यान रखा जाय । गन्ना कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए गन्ना मूल्य में वृद्धि करके पेराई सत्र 1984-85 में पश्चिम व मध्य उत्तर प्रदेश में 22 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 रुपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है । वर्ष 1984-85 में पांच सहकारी क्षेत्र की नई चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और तीन सहकारी क्षेत्र की नई चीनी मिलें निर्माणाधीन हैं जो वर्ष 1985-86 तक पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देंगी । इसके अतिरिक्त सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ नयी मिलें लगाने की कार्यवाही प्रस्तावित है ।

मेरी सरकार का यह प्रयत्न है कि सिंचाई के उपलब्ध साधनों के विकास के साथ-साथ सृजित सिंचन क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग हो । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचन क्षमता एक सौ दो लाख हेक्टेयर हो जाने की सम्भावना है । इस समय 76 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है । इनमें से 14 योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 56 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें लगभग 60 प्रतिशत योगदान लघु सिंचाई कार्यक्रमों का रहेगा । लघु सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि लघु एवं

सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाय और इसके लिए इस श्रेणी के कृषकों को 3,500 रुपये तक अनुदान स्वीकृत किया जाय । सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए हमने विश्व बैंक की भी सहायता ली है । जहां एक ओर नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चलाया गया है वहीं दूसरी ओर सौ साल से अधिक पुरानी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से प्रारम्भ किया गया है ।

कृषि और उद्योग दो पहिये हैं जिन पर किसी भी समाज की प्रगति की गाड़ी आगे बढ़ती है । जहां एक ओर खाद्यान्न उत्पादन में हमने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वहीं मेरी सरकार ने प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए एक बहुमुखी रणनीति अपनाई है । नई उद्योग विकास नीति के परिणामस्वरूप वातावरण में बदलाव आया है और औद्योगिक निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है । इससे उत्साहित होकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है । अगली योजना की अवधि में अधिक अधिक विकास खंडों में मिनी औद्योगिक आस्थान बनाने का कार्यक्रम है जिससे उद्यमियों को बने-बनाये शेड और भू-खंड मिल जायें । अगले पांच वर्षों में एक लाख नये लघु उद्योग लगाने का अभियान शुरू करना है ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार मिल सके । हथकरघा एवं हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए बुनकरों एवं शिल्पकारों को भी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना प्रस्तावित है । वर्तमान समय की मांग को देखते हुए मेरी सरकार इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है । अभी पिछले दिनों इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का अलग से एक विभाग बनाया गया है तथा एक उच्चस्तरीय इलेक्ट्रानिक्स कम्युनिकेशन परिषद् का गठन किया गया है जिसमें देश के जाने-माने विशेषज्ञों को रखा गया है । इस परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश में इस आधुनिक उद्योग का विकास सुनिश्चित किया जायेगा ।

औद्योगिक विकास के लिए मिल मालिक और मजदूर के बीच अच्छे सम्बन्धों का होना नितान्त आवश्यक है । मेरी सरकार के प्रयास से राज्य की श्रम स्थिति अपेक्षाकृत काफी अच्छी रही है । औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए तथा श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु समय-समय पर द्विपक्षीय वार्ता एवम् त्रिदलीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता रहा है । श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बन्दी के पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप इस साल प्रतिष्ठानों की बन्दी के मामले काफी कम हो गए हैं । इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रदेश के 65 नियोजनों पर लागू कर दिया गया है ।

बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी बिन्दुओं पर गत वर्ष काफी अच्छा काम हुआ है । मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष अनेक कार्यक्रमों में, जैसे आवास, स्थल आवंटन, समन्वित ग्राम-विकास योजना, उचित दर की दुकानों की संख्या में वृद्धि तथा ग्रामीण एवम् लघु उद्योगों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान पाया है । इस प्रकार हमारी सरकार 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निष्ठापूर्वक लगी हुई है ।

क्षेत्र समितियों तथा गांव सभाओं को उन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावशाली ढंग से सम्बद्ध करने हेतु शासन ने यह निर्णय लिया है कि भू-राजस्व से प्राप्त आय के समतुल्य धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय कार्यों के लिए

हस्तान्तरित की जाय । इस निर्णय के फलस्वरूप सामान्य आकार के ब्लाकों को तीन लाख रुपये तथा बड़े ब्लाकों को 4.5 लाख रुपयें के हिसाब से धनराशि उपलब्ध कराई गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत् बोर्ड को 2.03 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध युवा शक्ति के सहयोग से ग्रामीण जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के प्रयास हेतु मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में युवक मंगल दलों की स्थापना की जाय । इस प्रकार प्रदेश में युवक मंगल दलों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख बारह हजार हो जायेगी । इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रादेशिक विकास दल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर एक लाख कर दी जाय ताकि वे ग्रामीण विकास व सुरक्षा में योगदान दे सकें ।

राज्य के आर्थिक विकास में बिजली के महत्व के प्रति मेरी सरकार सजग है । विद्युत् की कमी को दूर करने के लिए निर्माणाधीन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 774 मेगावाट की नयी क्षमता का सृजन हो चुका है तथा इस अन्तिम वर्ष में 200 मेगावाट की वृद्धि होने की आशा है । शासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि राज्य में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग हो । साथ ही शासन का यह दृढ़ निश्चय है कि विद्युत् उत्पादन और उसके वितरण में गुणात्मक सुधार लाया जाय । आगामी वर्षों में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक उपाय किए जायेंगे जिस हेतु सदन के सम्मानित सदस्यों का पूरा सहयोग आवश्यक होगा । माइक्रोहाइड्रा इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का द्रुतगति से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु "उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवम् लघु जल-विद्युत उत्पादन निगम" का गठन किया गया है । यह निगम लघु जल-विद्युत गृहों के निर्माण एवम् संचालन का कार्य सम्पन्न करेगा । पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वाटर शेड प्रबन्ध प्रणाली पर आधारित पांच योजनायें ली गई हैं जिनमें दो योजनायें विश्व बैंक द्वारा पोषित हैं ।

राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के अच्छे साधन सुलभ कराने के उद्देश्य से सड़क निर्माण का एक वृहत् कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में छः हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु इस साल आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है । अनुमान है कि इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1140 किलोमीटर नयी पक्की सड़कों, 7780 किलोमीटर मिट्टी तथा खड़ंजा स्तर तक नयी सड़कों तथा 128 किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र में अश्व मार्गों का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा । नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की दयनीय दशा को देखते हुए स्थानीय निकायों को एक बड़ी धनराशि आबंटित की गयी है और उनसे यह अपेक्षा की गई है कि एक सघन कार्यक्रम के अनुसार नगरों की सड़कों के निर्माण व रख-रखाव में सुदृढ़ता व सुधार लाया जाय एवम् इस हेतु अधिकाधिक मशीनों व निर्माण के नये तरीकों का उपयोग किया जाय । यह कार्य अनेक स्थानों में शुरू हो गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश भर में जनता के लिए दो हजार मार्गों पर परिवहन सेवायें सुलभ कराई जा रही हैं चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में परिवहन निगम के बेड़े में 6032 बसें थीं । इसके अलावा यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राइवेट क्षेत्रीय परिवहन की 1386 बसों को अनुबंध पर लेकर चलाया जा रहा है । पुरानी

बसों की प्रतिस्थापना हेतु संसाधन जुटाकर अब तक 836 बसें क्रय की जा चुकी हैं तथा वर्ष 1984-85 के अन्त तक 1104 बसें क्रय करने की योजना है ।

मेरी सरकार ने उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया है । राज्य में सीमेंट, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल एवम् आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष काफी अच्छी रही और चीनी तथा वनस्पति तेल भी काफी मात्रा में उपलब्ध रहे । उपभोक्ताओं को सुविधा हेतु इस साल चार हजार से भी अधिक उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं । दूसरी ओर आर्थिक अपराधों की रोकथाम और मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से जमाखोरों, मुनाफाखोरों तथा काला-बाजारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने एक व्यापक अभियान चला रखा है । इसके परिणामस्वरूप इस साल लगभग छः करोड़ रुपय की आवश्यक वस्तुयें अधिगृहीत की जा चुकी हैं ।

आप सबको विदित ही हैं कि कानून एवम् व्यवस्था की दृष्टि से 1984 चुनौतियों का वर्ष रहा है । यह सन्तोष का विषय है कि जिला एवम् पुलिस प्रशासन ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया तथा गम्भीर परीक्षा की इन घड़ियों में वे खरे उतरे । गत जून मास में कुछ पथ-भ्रष्ट सैनिकों की अनुशासनहीनता से उत्पन्न गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य प्रशासन ने अनुकरणीय साहस एवम् कर्त्तव्य परायणता का परिचय देकर सेना को उन पर काबू पाने में जो सहयोग दिया उसकी सर्वत्र सराहना की गयी । जिला तथा पुलिस प्रशासन की सतर्कता से ही ईदुल फितर, ईदुज्जुहा, दशहरा, मोहर्रम के त्योहार शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जा सके । परम आदरणीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के निधन के बाद शान्ति एवं व्यवस्था की विषम समस्याओं पर भी यथाशक्ति काबू पाया गया और अभी हाल में लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों को निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं सामान्यतया शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराया गया ।

हमारी सरकार ने जहाँ एक ओर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखी वहीं दूसरी ओर अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की तथा योजनाबद्ध अभियान चलाकर जाने माने गिरोहों के ऐसे सरगनाओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जो कि शान्ति एवं व्यवस्था के लिए ही नहीं अपितु हमारी अर्थ व्यवस्था एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खतरा बन गए थे । मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यवाही की सभी ने खुले दिल से सराहना की है । यह भी सन्तोष का विषय है कि अपराधों को दर्ज न कर या उनकी गम्भीरता कम करके दर्ज करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया गया है जिससे जनता में पुलिस एवं शासन की विश्वसनीयता बढ़ी है ।

मेरी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि जनता को सस्ता एवं त्वरित न्याय सुलभ हो । न्यायालयों में बढ़ते हुए वादों की संख्या देखते हुए सिविल जजों के 94 अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । साथ ही जिलों में न्यायालय भवनों तथा वादकारियों के लिए आवश्वक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । पारिवारिक विवादों को शीघ्र निस्तारित करने के उद्देश्य से तत्सम्बन्धी केन्द्रीय अधिनियम लागू होने पर प्रत्येक जिले में पारिवारिक न्यायालय गठित किए जायेंगे । इसके अतिरिक्त उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी पर प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु कुछ आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

गत मई और जून के महीनों में राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को दुरुस्त एवं उन्हें अद्यावधिक (अप-टू-डेट) करने हेतु एक विशेष अभियान सम्पूर्ण प्रदेश में चलाया गया जिसके उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले। इसके दौरान लगभग 9 लाख विवादित और अविवादित बिरासत के मामले प्रकाश में आये जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत मामले तुरन्त तय कर दिए गए। इसी दौरान लगभग दो लाख कागजात दुरुस्ती के मामले निर्णीत किए गए। भूमि हस्तान्तरण के लगभग 16 हजार मामले लम्बित पाये गए जिनके बारे में कार्यवाही प्रगति पर है।

राज्य सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों के महत्व को देखते हुए शिक्षा के प्रसार के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में प्रति वर्ष पर्याप्त संख्या में नये प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले जा रहे हैं। जो बालक-बालिकाएं किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए बड़े पैमाने पर अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। निर्बल वर्ग के बच्चों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक और यूनी-फार्म देने की योजना भी है। प्रारम्भिक शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को भी उच्चस्तरीय वरीयता दी जा रही है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में स्थापित "इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी" में शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी वर्ष से प्रदेश में चार इन्जीनियरिंग विद्यालयों में कम्प्यूटर साइन्स का डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है और इस साल महिलाओं की सुविधा हेतु तीन महिला पालिटेकनिक स्थापित किये गये हैं। वर्तमान युग नये प्रबन्ध तकनीकों का युग है। प्रदेश में प्रबन्ध प्रशिक्षण की उच्चस्तरीय सुविधायें अब तक उपलब्ध नहीं थी। केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश में इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट स्थापित करने की दिशा में पहल की है। इस इन्स्टीट्यूट के निकट भविष्य में कार्यरत होने की सम्भावना है और आशा है कि इसके आ जाने के बाद प्रदेश में प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस वर्ष दस हजार से अधिक संस्थानों की वृद्धि कर दी गई है।

शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ हमारी सरकार ने हिन्दी के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। हिन्दी में इन्जीनियरिंग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्य-पुस्तकों का मौलिक लेखन, अनुवाद और प्रकाशन हिन्दी संस्थान से समन्वय करके किया जायेगा तथा हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले पब्लिक स्कूलों के लिए अनावर्तक अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है। हिन्दी के साथ उर्दू शिक्षण में प्रगति लाने की ओर भी सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है। पिछले वर्ष पांच हजार उर्दू अध्यापकों के नये पद सृजित किये गये हैं। संस्कृत अध्ययन व अध्यापन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अगले पन्द्रह वर्षों में सबके लिए स्वास्थ्य के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, उनका उच्चीकरण तथा उप केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम पूरा किया जायगा जिससे ग्रामीण जनता को निकटस्थ स्थानों में ही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधायें उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा

होम्योपैथिक सभी प्रकार के औषधालय बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में आधुनिक विशिष्ट सुविधायें जैसे "अर्ली कैन्सर डिटेक्शन केन्द्र", "थोरेसिक एवं कार्डियोवास्कुलर सर्जरी", "डायलेसिस यूनिट्स", "सीटी स्कैन" आदि उपलब्ध करा दी गई हैं। स्वास्थ्य के अलावा परिवार कल्याण सेवाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990 तक प्रदेश को पोलियो से मुक्त कर लिए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रदेश के नगरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही समस्याग्रस्त ग्रामों में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प लगाने की भी स्वीकृति दे दी गई है।

जन स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए शासन की नीति मादक वस्तुओं के उपयोग पर नियन्त्रण रखने की रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में अफीम, चरस, तथा गांजे के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध पहले से ही लगा है। कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े, पासी, ताड़ माली एवं बेलदार समुदायों को उनका परम्परागत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 9 पूर्वी जिलों में ताड़ी की दुकानों के बन्दोबस्त की नीलामी प्रथा समाप्त करके सरचार्ज प्रणाली लागू कर दी गई है तथा इस समुदाय के उन लोगों को जो वास्तव में पेड़ों से ताड़ी निकालने का काम करते हैं, लाइसेन्स देने में वरीयता दी जा रही है। आबकारी विभाग की वर्तमान कराधान प्रणाली पर नये सिरे से विचार करने हेतु उच्चस्तरीय अध्ययन दल गठित किया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के हित की रक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और समाज के अन्य निर्बल वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कृत संकल्प है और उनके शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं में अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की घोषित नीतियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से कमजोर तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों को यथाशीघ्र सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें स्वावलम्बी, प्रगतिशील नागरिक बनाने एवं ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारी दूर करने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। मेरी सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु एक विशेष योजना चलाई है इसके अधीन अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों जैसे नाई, मोची, दर्जी, ठेला एवं रिक्शा चालक, साइकिल स्कूटर की मरम्मत करने वाले, पान, चाय की छोटी दुकान लगाने वाले आदि को संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसे ऋण पर लगने वाले ब्याज पर राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से अनुदान दिया जायेगा। वर्ष में एक लाख नगरीय क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

इस वर्ष शासन ने यह निर्णय लिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हाई स्कूल तक जो भी अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्र शिक्षा संस्था में आयेंगे, उन सभी को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके लिए आगामी वर्ष में 9 करोड़ 56 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही साथ शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक लाख मकानों का निर्माण किया जायेगा।

मेरी सरकार ने निराश्रय विधवाओं और विकलांगों को दी जाने वाली सहायता की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस साल विधवाओं और विकलांगों को दी जाने वाली सहायता राशि तथा लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय

वृद्धि की गई है । गत वर्षों तक लगभग 22,000 निराश्रय विधवायें पेंशन पा रही थीं । एक लाख अतिरिक्त विधवाओं को पेंशन तथा एक लाख वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देने का निश्चय किया गया है जिस पर दो करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का अतिरिक्त व्यय होगा । गत माह तक 54 हजार अतिरिक्त विधवाओं को अनुदान वितरित किया जा चुका है । इसी प्रकार गत वर्ष लगभग 3 हजार विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी । इस वर्ष 22,500 अतिरिक्त विकलांगों को सहायता देने का निश्चय किया गया है ।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने और इस सम्बन्ध में शासन को परामर्श देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है । अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए कई विश्वविद्यालयों में कोचिंग कक्षायें प्रारम्भ की गई हैं । मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को औद्योगिक कृषि, व्यापार एवं अन्य व्यवसायों में वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी दशा सुधारने हेतु एक वित्तीय निगम की स्थापना की है । वक्फ सम्पत्ति के विकास के नये प्रयास भी किये जायेंगे ।

मेरी सरकार ने श्वेतक्रान्ति के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है । गुजरात की आनन्द पद्धति के अनुरूप 111 करोड़ की योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के एक लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ पहुंचा है । प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से तीन लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जित करके नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और सहकारी दुग्ध उत्पादकों की लोकप्रियता बढ़ी है ।

प्रदेश में वनों की कमी को दूर करने के लिए वृक्षारोपण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है । उनमें एक प्रमुख कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली सामाजिक वानिकी योजना है जिसका द्वितीय चरण अगले वर्ष प्रारम्भ हो रहा है । दिनांक 5 जनवरी, 1985 को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में माननीय प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की है कि हर वर्ष देश में लाखों हेक्टेयर भूमि में ईंधन व चारे की प्रजातियों के वृक्षों का आरोपण किया जायेगा । प्रदेश शासन ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसके कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति बनाने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स गठित किया है ।

भारतीय संस्कृति और इतिहास में गंगा नदी का एक विशिष्ट स्थान है । विगत वर्षों में गंगा नदी के तट पर बसे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप मल एवं अन्य गंदगी की निकासी की व्यवस्था में कमी होने के कारण गंगा नदी के प्रदूषण में विषम वृद्धि हुई है जिससे प्रदेश शासन को चिन्ता थी । अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रदूषण के निराकरण की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी । अब प्रधान मन्त्री जी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित गंगा प्राधिकरण के तत्वावधान में जल प्रदूषण की रोक-थाम एवं नदी के घाटों के जीर्णोद्धार हेतु बृहत योजनायें बनाई जा रही हैं । इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 6 जिले सहारनपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी लिए जायेंगे ।

राज्य सरकार वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण की शुद्धता तथा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के अतिरिक्त ऊर्जा के नये स्रोतों के विकास के लिए विशेष जागरूक रही है । भारत सरकार की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के सहयोग से एक बहुऔद्योगिकी हस्तान्तरण केन्द्र कार्यरत है जिसके द्वारा उद्यमियों

की नई तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है । राज्य में ऊर्जा के नये वैकल्पिक स्रोतों के विकास के उद्देश्य से वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में बायो गैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा लघु जल-विद्युत ऊर्जा, संस्थानों की स्थापना करके वैकल्पिक ऊर्जा के नये स्रोतों का विकास इस संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है । भारत सरकार के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम राज्य के 6 जिलों में चलाया जा रहा है जिसका और विस्तार करने की योजना है ।

उत्तर प्रदेश धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है । बहुमुखी पर्यटन विकास हेतु मेरी सरकार सतत प्रयत्नशील है । मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जायेगा और पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ।

छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य की अर्थ-व्यवस्था की विकास दर 6 प्रतिशत रही जबकि इससे पूर्व के 20 वर्षों की औसत विकास दर लगभग 2·7 प्रतिशत थी । सप्तम योजना के लिए भी लगभग 16 हजार 8 सौ करोड़ रुपये की योजना 6 प्रतिशत विकास दर के आधार पर योजना आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित की गई है सप्तम योजना काल में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा । क्षेत्रीय नियोजन के दृष्टिकोण से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र व बुन्देलखंड का बहुमुखी विकास सातवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा ।

हमारी वार्षिक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में राष्ट्रीय बचत योजना का प्रमुख योगदान है क्योंकि इस योजना में जमा शुद्ध धनराशि का दो तिहाई भाग केन्द्र से प्रदेश को मिल जाता है । वर्ष 1984-85 में इस योजना में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है । जनवरी, 1985 के अन्त तक इस योजना में शुद्ध जमा धनराशि 271 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी जब कि गत वर्ष इसी अवधि तक केवल 168 करोड़ रुपये जमा हुये थे । यह प्रयास किया जा रहा है कि इस वर्ष के अन्त तक यह धनराशि लगभग 400 करोड़ रुपये तक पहुंच जाय ।

माननीय सदस्यगण, मैंने सरकार की प्रमुख नीतियों और उसके द्वारा किये जाने वाले अनेक महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है । साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी चर्चा की है जो मेरी सरकार इस वर्ष प्रारम्भ कर चुकी है अथवा भविष्य में प्रारम्भ करने जा रही है । मेरी सरकार राज्य को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने एवं प्रत्येक वर्ग की प्रगति तथा कल्याण हेतु कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहेगी ।

नयी मंत्रि परिषद ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाला है । उसे विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में निःसन्देह कुछ समय लगेगा । इस कारण इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों के लिए लेखानुदान तथा चालू वर्ष का द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । विगत महीनों में कुछ अध्यादेश जारी किये गये हैं । इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले तथा कुछ अन्य विधेयकों को आपके विचारार्थ इस सत्र में रखना प्रस्तावित है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्मानित सदस्य राज्य के सर्वांगीण विकास और जनतन्त्र को सफल बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं ।

जय हिन्द ।

पी0 एस0 यू0 पी0--6 बि0 सभा-6-5-1985--813 (पी0 डी0)